



वार्षिक प्रतिवेदन

2020-21 एवं 2021-22



सूचना का अधिकार

वार्षिक प्रतिवेदन
2020-21 एवं 2021-22

200 प्रतियां

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून



वार्षिक प्रतिवेदन

2020-21 एवं 2021-22



सूचना का
अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

अनुक्रमणिका



क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	01
2	सूचना का अधिकार आंकड़ों में	03
3	सूचना का अधिकार अधिनियम	05
4	उत्तराखण्ड सूचना आयोग	13
5	आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही	25
6	सूचना आवेदन पत्रों, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का संख्यात्मक विवरण	29
7	लोक प्राधिकारियों के स्तर पर धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत स्वः प्रकटन की स्थिति	49
8	आयोग की संस्तुतियां	63
9	आयोग द्वारा द्वितीय अपीलों / शिकायतों में आरोपित शास्तियां	67
10	आयोग को प्राप्त बजट	113



सूचना का
अधिकार

प्रस्तावना

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया है जिसके मुख्य उद्देश्य लोक प्राधिकारियों की कार्य प्रणाली में अधिकतम पारदर्शिता बनाना, सरकार के उत्तरदायित्व और निष्पादन में सुधार, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में नागरिकों और सरकार के बीच भागीदारी बढ़ाना और भ्रष्टाचार को रोकना, लोक प्राधिकारियों के नियन्त्रण में धारित सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करना, लोक प्राधिकारियों द्वारा अधिकतम सूचनाओं का स्वः प्रकटीकरण करना, नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करना, केन्द्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोगों का गठन करना, संवेदनशील सूचनाओं की गोपनीयता को बनाए रखना है।

सूचना का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद-19(1)(क) में निहित वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अन्तर्गत आता है। मा0 उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण एवं अन्य के मामले में यह मत प्रकट किया था कि जानने का अधिकार ऐसा अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अधीन गारन्टीकृत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अधिकार से उद्भूत होता है।

सूचना के अधिकार का अर्थ है कि— लोक प्राधिकारियों के नियन्त्रण में धारित सूचनाओं की पहुँच सुलभ होना। उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग का गठन दिनांक 03 अक्टूबर, 2005 को किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 की उपधारा 1 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग के वर्ष 2020-21, एवं वर्ष 2021-22, का सम्मिलित वार्षिक प्रत्यावेदन यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रस्तुत सम्मिलित वार्षिक प्रतिवेदन में प्रदेश के विभिन्न लोक प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम के प्राविधानों के अनुपालन को ही लक्षित किया गया है। साथ ही, ऐसे अनुपालन से जुड़े विभिन्न आंकड़ों का विश्लेषण तथा उनसे संबंधित जानकारियों को भी इस सम्मिलित वार्षिक प्रतिवेदन में दिया गया है।

आलोच्य अवधि के अधिकांश भाग में कोरोना की वैश्विक महामारी के नकारात्मक प्रभावों का असर हमें आयोग के कियाकलापों पर भी देखने को मिला। व्यापक लॉकडाउन तथा उसके उपरान्त कार्मिकों की सीमित/नियंत्रित उपस्थिति के कारण अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली

अपीलों/शिकायतों के पंजीकरण तथा उनके निस्तारण की संख्या में कमी देखने को मिलती है। परन्तु इस अवधि में राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुये आयोग स्तर पर यह सुनिश्चित करने के प्रयास किये गये कि अधिक से अधिक संख्या में अपीलों/शिकायतों की सुनवायी की जा सके। इसके लिए सुनवायी को मोबाईल दूरभाष से ऑडियो/वीडियो के माध्यम से पूर्ण किया गया।

प्रस्तुत प्रतिवेदन में लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्र, प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त विभागीय अपीलें, आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि, धारा 19(3) के अन्तर्गत आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण, तथा आयोग द्वारा आरोपित शास्तियों आदि से सम्बन्धित विवरण दिये गये हैं। विभिन्न लोक प्राधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अनुपालन की स्थिति भी इस सम्मिलित वार्षिक प्रतिवेदन में दर्शायी गयी है। आयोग को राज्य सरकार से वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में प्राप्त बजट का विवरण भी दिया गया है।

प्रदेश के विभिन्न लोक सूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय अधिकारियों को अधिनियम के प्राविधानों के सही उपयोग हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी ऑनलाईन/वीडियो के माध्यम से आयोजित कराया गया।

आयोग के पूर्व प्रतिवेदनों की ही तरह इस सम्मिलित प्रतिवेदन में भी संस्तुतियां प्रस्तुत की जा रही हैं। मेरा विश्वास है कि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इन संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से विचार किया जायेगा।

इस अवसर पर मैं उत्तराखण्ड शासन के मुख्य सचिव तथा सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रति उनके द्वारा उत्तराखण्ड सूचना आयोग को समय-समय पर प्रदत्त सहायता एवं सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूँ।

इस सम्मिलित वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने में आयोग के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका के लिये मैं उन सभी को भी धन्यवाद देता हूँ।

अनिल चन्द्र पुनेठा
मुख्य सूचना आयुक्त

सूचना का अधिकार आंकड़ों में वर्ष 2020 - 21

1	प्रदेश के समस्त लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों की संख्या	51,501*
2	प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष निस्तारित आवेदनों की संख्या	44,161*
3	प्रदेश के समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त प्रथम / विभागीय अपीलों की संख्या	5,433*
4	प्राप्त प्रथम अपीलों के सापेक्ष निस्तारित अपीलों की संख्या	4,624*
5	प्रथम पांच विभाग जिन्हें सबसे अधिक सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये*	
	राजस्व	गृह
	वन	विद्यालयी शिक्षा
	लोक निर्माण विभाग	
	9245	6641
	5637	3136
	2163	
6	द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19 (3)	
	कुल द्वितीय अपीलों पर सुनवाई	कुल निस्तारण
	2163	1738
7	शिकायत अन्तर्गत धारा 18	
	कुल शिकायतों पर सुनवाई	कुल निस्तारण
	524	338
8	आलोच्य वर्ष में आयोग द्वारा आरोपित शास्तियों / क्षतिपूर्तियों की संख्या	59 शास्ति 7 क्षतिपूर्ति
9	आरोपित शास्तियों की धनराशि (रु.)	7,48,500
10	आरोपित क्षतिपूर्तियों की धनराशि (रु.)	44,500
11	आयोग द्वारा संस्तुत विभागीय कार्यवाही की संख्या	2
12	आयोग के आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में दायरवाद	2

* (प्रदेश के लोक प्राधिकारियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर)

सूचना का अधिकार आंकड़ों में वर्ष 2021 - 2022

1	प्रदेश के समस्त लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों की संख्या	35,257*
2	प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष निस्तारित आवेदनों की संख्या	28,627*
3	प्रदेश के समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त प्रथम / विभागीय अपीलों की संख्या	4,319*
4	प्राप्त प्रथम अपीलों के सापेक्ष निस्तारित अपीलों की संख्या	3,376*
5	प्रथम पांच विभाग जिन्हें सबसे अधिक सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये*	
	राजस्व	गृह
	विद्यालयी शिक्षा	वन
	लोक निर्माण विभाग	
	6178	5877
	3655	2810
	1771	
6	द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19 (3)	
	कुल द्वितीय अपीलों पर सुनवाई	कुल निस्तारण
	938	624
7	शिकायत अन्तर्गत धारा 18	
	कुल शिकायतों पर सुनवाई	कुल निस्तारण
	221	94
8	आलोच्य वर्ष में आयोग द्वारा आरोपित शास्तियों / क्षतिपूर्तियों की संख्या	38 शास्ति 3 क्षतिपूर्ति
9	आरोपित शास्तियों की धनराशि (रु)	4,16,750
10	आरोपित क्षतिपूर्तियों की धनराशि (रु)	50,000
11	आयोग द्वारा संस्तुत विभागीय कार्यवाही की संख्या	1
12	आयोग के आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में दायरवाद	0

* (प्रदेश के लोक प्राधिकारियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर)



**सूचना का
अधिकार
अधिनियम**



सूचना का
अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा भारत में एक ऐसे युग का सूत्रपात किया गया है जिसमें किसी भी सरकारी सूचना तक जनसामान्य की पहुंच अत्यन्त सरल रूप में सम्भव हो पाती है। इसके साथ ही, सूचना का अधिकार अधिनियम के कारण ही सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली में व्यापक पारदर्शिता तथा जवाबदेही भी सुनिश्चित हो सकी है।

इस अधिनियम को अंगीकृत कर भारत विश्व के उन राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मिलित हुआ जहाँ सूचना के अधिकार को विधिक मान्यता प्रदान की गयी है। ऐसे राष्ट्रों में से अधिकांश पाश्चात्य और आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र हैं। भारत उन कुछ विकासशील राष्ट्रों में से एक है जहाँ ऐसा अधिनियम बनाया गया है।

सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 लोक सभा में दिनांक 23 दिसम्बर, 2004 को प्रस्तुत किया गया एवं उक्त विधेयक कतिपय संशोधनों के उपरान्त दिनांक 11 मई, 2005 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया। राज्य सभा द्वारा उक्त विधेयक दिनांक 12 मई, 2005 को पारित किया गया। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा इस अधिनियम को 15 जून, 2005 को अपनी स्वीकृति प्रदान की गयी, तत्पश्चात महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति के दिनांक से 120वें दिन, अर्थात् 12 अक्टूबर, 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभाव में है।

“लोक प्राधिकारी” की परिभाषा में सभी संवैधानिक संस्थाओं, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, निगम, स्थानीय निकाय, पंचायतें, तथा ऐसे गैर सरकारी संगठन सम्मिलित हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों से किसी न किसी रूप में वित्त-पोषित हैं।

सूचना का अधिकार, नागरिकों को लोक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करने हेतु अधिकार सम्पन्न करता है तथा कतिपय अपवादों को छोड़ कर लोक प्राधिकारी के द्वारा नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने का प्राविधान करता है। **नागरिकों को जो सूचना देय है उससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है।** इस प्रकार यह अधिनियम लोकतंत्र में नागरिकों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सशक्त अधिकार प्रदान करता है ताकि सरकारों की नागरिकों के प्रति जवाबदेही बनी रहे।

इतनी अवधि में सूचना का अधिकार अधिनियम को अब विभिन्न सरकारी विभागों (जिनके द्वारा समस्त सूचनायें धारित एवं नियंत्रित की जाती हैं) तथा जनसामान्य (जो प्रजातंत्र के

रचयिता तथा लाभार्थी हैं) के बीच में अधिकारों के सन्तुलन को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

सूचना का अधिकार कानून क्या है ?

अधिनियम में सूचना का अधिकार की निम्नलिखित प्रस्तावना (Preamble) दी गयी है :

“प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे सम्बन्धित या उनसे आनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम”.

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत :

- सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अन्तर्गत नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अन्तर्गत प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है। यह अधिनियम दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावी है।
- भारत के नागरिक को किसी भी लोक प्राधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-6(1) के अन्तर्गत सूचना मांगने का अधिकार प्राप्त है।
- किसी भी सरकारी कार्यालय द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने तथा निर्माण सामग्री के नमूने प्राप्त करने का अधिकार भी यह अधिनियम नागरिकों को प्रदान करता है।
- सूचना प्राप्त करने हेतु दस रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित है जो नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पोस्टल ऑर्डर/नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प के माध्यम से जमा किया जा सकता है। गरीबी रेखा से नीचे के आवेदकों हेतु कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है, परन्तु ऐसे आवेदकों को अपने सूचना आवेदन के साथ अपने बी.पी.एल. कार्ड की प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।

- अभिलेखों/पत्रावलियों का निरीक्षण, आवेदन शुल्क देने के बाद एक घण्टा निःशुल्क किया जा सकता है। इसके उपरान्त प्रत्येक 60 मिनट या उसके किसी भाग के लिए पांच रुपया अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया जाना होगा।
- अभिलेख की ए-3 या ए-4 आकार की छायाप्रति हेतु दो रुपया प्रति पृष्ठ फीस निर्धारित है, इससे बड़े आकार के अभिलेख की प्रति प्राप्त करने हेतु वास्तविक लागत देनी होगी। सी.डी./डी.वी.डी. में सूचना प्राप्त करने के लिए बीस रुपये का शुल्क देय है।
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आवेदक को स्वयं अथवा उसके परिवार से सम्बन्धित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इससे भिन्न सूचना के लिए 50 पृष्ठों अथवा रु. 100 की सूचना निःशुल्क दी जायेगी, तथा इससे अधिक सूचना नियत शुल्क का भुगतान करने के उपरान्त प्रदान की जाती है।
- वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा विलम्बतम तीस दिन के अन्दर उपलब्ध करायी जानी होती है।
- निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध न होने पर या गलत अथवा भ्रामक अथवा अधूरी सूचना देने पर उसकी अपील विभाग के अपीलीय अधिकारी को अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत की जाती है।
- विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील का निस्तारण तीस दिन के भीतर करना होता है।
- विभागीय अपीलीय अधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध होने पर द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत 90 दिन की समयावधि के भीतर की जा सकती है।
- यदि किसी नागरिक को सूचना पाने में कोई कठिनाई होती है अथवा किसी लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी से अपूर्ण, असत्य अथवा भ्रामक सूचना प्राप्त होती है, तो वह अधिनियम की धारा 18(1) के अन्तर्गत आयोग को शिकायत भी दर्ज कर सकता है, आयोग ऐसे प्रकरणों की आवश्यकतानुसार जांच भी करा सकता है।

लोक प्राधिकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (परिभाषायें) के अन्तर्गत अधिनियम में 'लोक प्राधिकारी' से (क) संविधान द्वारा

या उसके अधीन; (ख) संसद द्वारा बनाई गयी किसी अन्य विधि द्वारा; (ग) राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गयी किसी अन्य विधि द्वारा; (घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना या किये गये आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकरण या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है; और इसके अन्तर्गत (i) कोई ऐसा निकाय जो केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा वित्त पोषित है; (ii) कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा वित्त पोषित है, सम्मिलित है।

उपरोक्त परिभाषा के अन्तर्गत ही उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी 29 जुलाई 2005 के शासनादेश द्वारा

- (i) सचिवालय में शासन के समस्त विभागों,
- (ii) शासन के समस्त निदेशालयों,
- (iii) निदेशालयों के मुख्यालयों,
- (iv) मण्डल स्तरीय सभी कार्यालयों,
- (v) जनपद स्तरीय सभी कार्यालयों,
- (vi) सब डिविजन स्तरीय सभी कार्यालयों,
- (vii) विकास खण्ड स्तरीय सभी कार्यालयों,
- (viii) सभी सार्वजनिक निगमों, परिषदों, प्राधिकरणों, संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा अन्य निकायों,
- (ix) शहरी क्षेत्रों की समस्त नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर निगम,
- (x) प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों, तथा
- (xi) ऐसी सभी गैर सरकारी संस्थाओं को, जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार से बड़ी मात्रा में वित्त पोषित हैं, लोक प्राधिकारी घोषित किया गया है (शासनादेश संख्या 177/XXII/2005 दिनांक 29/07/05)।

इसके अतिरिक्त राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा गठित विश्वविद्यालय भी लोक प्राधिकारी की परिभाषा से आच्छादित होते हैं।

शासनादेश संख्या 177/XXII/2005; 29/07/05 को उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के नियम 4 के

साथ पढ़े जाने पर यह स्पष्ट होगा कि सभी प्रमुख सचिव या सचिव, जिस विभाग / जिन विभागों के वे प्रशासनिक मुखिया हैं, वे इन लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी हैं। उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के नियम 4 तथा शासनादेश दिनांक 29 जुलाई 2005 के अनुसार विभागीय प्रमुख सचिव / सचिव का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने प्रशासनिक विभाग के अन्तर्गत सभी लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित कर उनसे अपेक्षा करें कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जो लोक प्राधिकारियों के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व हैं, उनका अनुपालन करें। लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित करने में किये गये विलम्ब से सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम में एक महत्वपूर्ण 'स्टेक होल्डर' वे विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष भी हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से बतौर लोक प्राधिकारी चिह्नित किया गया है तथा जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी माना गया है।

लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी

प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारियों का नामांकन किया जायेगा। यह लोक सूचना अधिकारी प्रत्येक लोक प्राधिकारी के समस्त प्रशासनिक इकाइयों तथा कार्यालयों के लिए अलग-अलग नामित किये जाने हैं। लोक सूचना अधिकारी ऐसा अधिकारी होगा जिसे लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा में रखी गयी सूचना उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो।

लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों की संख्या तथा उन्हें किस स्तर तक नामित किया जाये, इसका निर्धारण करते समय जन सामान्य की सुविधा का भी ध्यान रखा जायेगा।

ऐसी गैर सरकारी संस्थाएँ, जिन्हें लोक प्राधिकारी के रूप में चिह्नित किया गया है, वे भी लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी नामित करेंगे।

अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर इतनी संख्या में सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किये जायेंगे जिससे प्रार्थना पत्र / अपीलों को प्रस्तुत करने में जन सामान्य को कोई कठिनाई न हो।

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के द्वारा प्रथम अपील के लिए विभागीय अपीलीय अधिकारी को भी नामित किया जायेगा जो नामित लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ स्तर का कोई अधिकारी होगा।

लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों, संदर्भों, शिकायतों तथा अपीलों को सामान्य पत्राचार के रूप में व्यवहृत न कर इनके लिए निर्धारित अलग पंजिका में इस प्रकार से रखे जायेंगे जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित किसी भी पत्राचार की प्राप्ति अथवा उसके निस्तारण सम्बन्धी सूचना तात्कालिक रूप से उपलब्ध हो सके तथा अन्य श्रोतों से मांगे जाने पर सम्बन्धित सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जा सके।

अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराएँ

धारा 4

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत समस्त लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना को स्वैच्छिक रूप से प्रकट (Pro-Active Disclosures) करने का प्राविधान है। अधिनियम की धारा 1(3) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत इंगित अभिलेखों को अधिनियम के गजट नोटिफिकेशन के 120 दिन के अन्दर अर्थात् 12/10/2005 तक पूर्ण कर लेना अपेक्षित था, जिससे लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित सूचना इस अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय मैनुअल के रूप में जन-सामान्य को आसानी से सुलभ हो सके। प्रत्येक मैनुअल के अन्त में, मैनुअल के नैरेटिव के सापेक्ष, मूल शासनादेशों की प्रतियां भी क्रमबद्ध रूप से संलग्न किये जाने होते हैं जिससे ऐसे सभी सुसंगत तथ्य इन मैनुअलों में उपलब्ध हों जो जनता को प्रभावित करते हैं।

लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार मैनुअलों तक जनसामान्य की पहुँच को सहज बनाने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 4(2), 4(3) तथा 4(4) के अन्तर्गत मैनुअलों को प्रकाशित करने तथा इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित करना सुनिश्चित करना होता है।

धारा 6

किसी भी लोक प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित फीस के साथ आवेदन किया जाना होता है। इस अनुरोध पत्र में आवेदक को अपने डाक पते के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी होती है।

यदि लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त आवेदन पत्र में मांगी गयी सूचना उसके कार्यालय से सम्बन्धित नहीं हैं, अथवा उसके कार्यालय द्वारा धारित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह लोक सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत अनुरोध पत्र को सही/सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिन की अवधि में अन्तरित करना सुनिश्चित करेगा, तथा इस अन्तरण के सम्बन्ध में आवेदक को भी लिखित रूप में सूचित करेगा।

धारा 7

प्राप्त अनुरोध पत्र पर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी द्वारा (i) मांगी गयी सूचना के सापेक्ष अतिरिक्त शुल्क (यदि हो तो आवेदन प्राप्त होने के 07 दिन के भीतर) की गणना कर आवेदक को अवगत कराया जायेगा, तथा अतिरिक्त शुल्क की धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध करायी जायेगी; अथवा (ii) आवेदन प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध करायी जायेगी। जीवन एवं स्वतंत्रता से सम्बन्धित सूचना 48 घण्टे के अन्दर दिया जाना प्राविधानित है।

धारा 8

अधिनियम की इस धारा के अन्तर्गत ऐसी सूचना को प्रकट किये जाने से छूट दी गयी है –

- (i) जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से सम्बन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो,
- (ii) जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अभिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया हो, या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती हो,
- (iii) जिसके प्रकटन से संसद् या किसी राज्य के विधान-मण्डल का विशेषाधिकार भंग होता हो,
- (iv) वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक सम्पदा से सम्बन्धित सूचना, अथवा किसी व्यक्ति को

उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता हो,

- (v) जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो सके या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करे,
- (vi) जिसके प्रकटन से अपराधियों के पकड़े जाने, अपराध की विवेचना या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी,
- (vii) मंत्रिमंडल के कागजपत्र जिसके प्रकटन से मंत्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श में अड़चन पड़ेगी,
- (viii) ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित है, जिसका किसी लोक क्रियाकलाप या हित से सम्बन्ध नहीं है या जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण हो।

उपरोक्त में से (iv), (v) एवं (viii) से सम्बन्धित सूचनाओं के सम्बन्ध में यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचनाओं का प्रकटन व्यापक लोक हित में है, तब ऐसी सूचनाओं को भी आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

मंत्रिपरिषद् के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किये गये थे, को विनिश्चय किये जाने तथा विषय के पूरा या समाप्त होने के बाद आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध कराये जायेंगे।

धारा 18

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के अन्तर्गत आयोग द्वारा ऐसे प्रकरणों में जनसामान्य से प्राप्त शिकायतें प्राप्त कर उनकी जांच की जा सकती है जहां किसी भी नागरिक को

- सूचना देने से इंकार किया गया हो,
- मिथ्या अथवा भ्रामक सूचना उपलब्ध करायी गयी हो,
- अनुचित फीस की मांग की गयी हो,
- अभिलेख उपलब्ध न कराये गये हों, अथवा
- समय से सूचना उपलब्ध न करायी गयी हो।

आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध ऐसी प्राप्त शिकायत को दर्ज कर उसकी जांच

अधिनियम की धारा 18(2) में की जा सकती है। ऐसी जांचों के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 18(3) में आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन समन प्रेषित करने, शपथ पत्र पर लिखित/मौखिक साक्ष्य लेने आदि जैसी सिविल न्यायालय की शक्तियाँ भी प्रदान की गयी हैं।

धारा 19

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत आवेदकों को विभागीय स्तर पर प्रथम अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है जिसका प्रयोग उनके द्वारा सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी से अस्पष्ट सूचना प्राप्त होने/सूचना न प्राप्त होने अथवा प्राप्त सूचना से संतुष्ट न होने की स्थिति में किया जाता है। प्रथम अपील की नियमानुसार सुनवाई ऐसे नामित विभागीय अधिकारियों द्वारा किये जाने का प्राविधान अधिनियम में दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से उच्च स्तर के हों। प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रथम अपीलों का 30 दिन की समयावधि के भीतर निस्तारण करना होता है। प्रथम अपील पर दिये गये निर्णय लिखित में जारी करने में यदि निर्धारित 30 दिन की अवधि से अधिक समय लगता है तो इस अतिरिक्त अवधि के लिए लिखित में आवश्यक रूप से कारण अभिलिखित करना चाहिए तथा यह अतिरिक्त अवधि निर्धारित 30 दिन की अवधि सहित किसी भी दशा में कुल 45 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रथम अपील की नियमानुसार सुनवायी व निस्तारण न होने, अथवा प्रथम अपील के निस्तारण से क्षुब्ध होने की स्थिति में अपीलकर्ता द्वारा आयोग में अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत द्वितीय अपील की जा सकती है। इस द्वितीय अपील में अपीलकर्ता को अपने सूचना अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त सूचना (यदि दी गयी हो), प्रेषित प्रथम अपील तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा किये गये निस्तारण (यदि किया गया हो) की स्व:प्रमाणित प्रतियाँ लगायी जानी आवश्यक हैं। द्वितीय अपील को आयोग में तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होता है।

धारा 20 (शास्ति)

(1) जहाँ किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि लोक सूचना अधिकारी ने, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिये, कोई आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असदभावपूर्वक सूचना के लिये अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत,

अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रुपए की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।

(2) जहाँ किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि लोक सूचना अधिकारी किसी युक्तियुक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिये कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असदभावपूर्वक सूचना के लिये अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है वहाँ वह ऐसे लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिये सिफारिश करेगा।

आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति तथा क्षतिपूर्ति की वसूली

(उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रख्यापित सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 में दी गयी व्यवस्था):

11—(क) लोक सूचना अधिकारी पर अधिरोपित शास्ति अथवा लोक प्राधिकारी पर अधिरोपित क्षतिपूर्ति द्वितीय अपील अथवा शिकायत, यथास्थिति, में पारित आयोग के आदेश के तीन माह की अवधि समाप्त होने पर वसूल की जा सकेगी।

(ख) आयोग आरोपित शास्ति वसूलने के लिए उसे 3 से अनधिक किशतों में वसूलने के लिए आदेश दे सकेगा। आयोग लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने पर शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की प्रति शास्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ लोक सूचना अधिकारी के लोक प्राधिकारी को उपलब्ध करायेगा, जो आदेश प्राप्त होने पर उसकी पावती आयोग को इस आशय से प्रेषित करेंगे कि वसूली के प्रयोजनार्थ शास्ति को नोट कर लिया गया है।

(ग) अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के अधिनिर्णय हेतु लोक प्राधिकारी के विरुद्ध आदेश

पारित करने पर आयोग ऐसे आदेश की प्रति आयोग द्वारा स्वयं लोक प्राधिकारी को वसूली के लिए उपलब्ध कराएगा जो आदेश की पावती यह सूचित करते हुए कि अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान तथा ऐसे सम्बन्धित अधिकारियों से, जिन्हें लोक प्राधिकारी उचित समझे, उक्त राशि वसूल करने लिए नोट कर ली गई है, आयोग की पावती भेजेगा।

- (घ) खण्ड (ख) व (ग) के अन्तर्गत आयोग से आदेश प्राप्त होने व लोक प्राधिकारी द्वारा उसकी पावती आयोग को प्रेषित करने पर खण्ड (क) के अधीन शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने का उत्तरदायित्व लोक प्राधिकारी का होगा।
- (ङ) शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश की प्रति सम्बन्धित लोक प्राधिकारी को

उपलब्ध कराना ही पर्याप्त होगा। लोक प्राधिकारी प्रमुख शास्ति की राशि अथवा क्षतिपूर्ति शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति अभिरोपण के तीन माह बाद परन्तु छः माह से अनधिक अवधि में वसूलेगा। उक्त राशि वसूलने पर लोक प्राधिकारी प्रमुख आयोग को राशि वसूल होने का विवरण सूचित करेगा। आयोग द्वारा उक्त सूचना सम्बन्धित द्वितीय अपील पत्रावली में रखी जायेगी।

- (च) लोक प्राधिकारी द्वारा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति को वसूल किये जाने, उसे राजकोष में जमा करने अथवा आवेदनकर्ता को भुगतान करने की कार्यवाही, यथास्थिति, ऐसी रीति, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर आदेश जारी कर विहित करे, के अनुसार की जायेगी।



**उत्तराखण्ड
सूचना आयोग**



सूचना का
अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

उत्तराखण्ड सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, उत्तरांचल शासन, सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 253/XXII/2005-1(20)2005 दिनांक 03 अक्टूबर 2005 के द्वारा किया गया था जिसके क्रम में राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में डा. आर. एस. टोलिया की नियुक्ति उत्तरांचल शासन, सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 252/XXII/2005-1(20)2005 दिनांक 03 अक्टूबर 2005 के द्वारा की गयी थी। इसके उपरान्त राज्य सरकार द्वारा माह नवम्बर, 2009 में अधिसूचना संख्या 780/XXX(13)G/2009 दिनांक 11 नवम्बर, 2009 के द्वारा श्री विनोद नौटियाल को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। राज्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री विनोद नौटियाल का पाँच वर्ष का कार्यकाल दिनांक 15/12/2014 को पूर्ण हुआ।

आयोग एवं प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डा. आर. एस. टोलिया दिनांक 17/10/2010 को सेवानिवृत्त हुये जिसके उपरांत दिनांक 19/10/2010 को राज्य सरकार द्वारा श्री एन. एस. नपलच्याल को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया (अधिसूचना संख्या 933/XXX(13)G/2009-52(5)207). दिनांक 19/10/2010 को ही राज्य सरकार द्वारा श्री अनिल कुमार शर्मा तथा श्री प्रभात डबराल को भी राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी. (अधिसूचना संख्या 934/XXX(13)G/2009-52(5)207 तथा अधिसूचना संख्या 935/XXX(13)G/2009-52(5)207)।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10/05/2013 को श्री राजेन्द्र कोटियाल को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी. (अधिसूचना संख्या : 1594/xxxi(13)G/2013-41 सा./2013)।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15/01/2014 को श्री सुरेन्द्र सिंह रावत को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी। (अधिसूचना संख्या : 81/xxxi(13)G/2014-41 सा./2013)।

श्री एन.एस. नपलच्याल के दिनांक 01/04/2015 को सेवानिवृत्त होने पर शासनादेश संख्या 330/xxxi(13)G/15-2 के

द्वारा राज्य सरकार द्वारा नये मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किये जाने तक श्री प्रभात डबराल, राज्य सूचना आयुक्त को उत्तराखण्ड सूचना आयोग के सामान्य अधीक्षण एवं प्रबंधन करने के लिए नामित किया गया।

दिनांक 18/10/2015 को श्री अनिल कुमार शर्मा तथा श्री प्रभात डबराल के सेवानिवृत्त होने पर शासनादेश संख्या 2562/xxxi(13)G/15-2 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा नये मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किये जाने तक श्री राजेन्द्र कोटियाल, राज्य सूचना आयुक्त को उत्तराखण्ड सूचना आयोग के सामान्य अधीक्षण एवं प्रबंधन करने के लिए नामित किया गया।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या : 1342 (i)/xxxi (15)G-02/2016 दिनांक 08/11/2016 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा श्री शत्रुघ्न सिंह को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। श्री शत्रुघ्न सिंह द्वारा दिनांक 19/11/2016 को मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यभार ग्रहण किया गया।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01/08/2018 को श्री जे.पी. ममगाई (अधिसूचना सं 635/xxxi(15)G-09/(रा०मु०सू०आ०)/2015-18) तथा श्री चन्द्र सिंह नपलच्याल (अधिसूचना सं 640/xxxi(15)G-09 रा० मु० सू० आ०)/2015-18) को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी।

दिनांक 19/05/2021 को श्री शत्रुघ्न सिंह, मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा पद से त्याग पत्र दिये जाने पर राज्य सरकार द्वारा नये मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किये जाने तक श्री जे.पी. ममगाई, राज्य सूचना आयुक्त को उत्तराखण्ड सूचना आयोग के सामान्य अधीक्षण एवं प्रबंधन करने के लिए नामित किया गया।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31/12/2021 को श्री अनिल चन्द्र पुनेठा, आई.ए.एस. (से.नि.) को राज्य मुख्य सूचना के रूप में (अधिसूचना संख्या 996/xxxi(15)G21-02/ रा.सू.आ./2015) तथा श्री विवेक शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में (अधिसूचना संख्या 996/xxxi(15)G21-02/ रा.सू.आ.

/2015) नियुक्ति प्रदान की गयी। श्री अनिल चन्द्र पुनेठा, आई.ए.एस. (से.नि.) तथा श्री विवेक शर्मा द्वारा दिनांक 05/01/2022 को पदभार ग्रहण किया गया।

श्री विपिन चन्द्र, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31/12/2021 को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था (अधिसूचना से 996/xxxi(15)/G21/-02/ दिनांक 31/12/2021) के द्वारा दिनांक 03/03/2022 को पदभार ग्रहण किया गया।

इस प्रकार वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की अवधि में उत्तराखण्ड सूचना आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलें तथा शिकायतों पर सुनवाई मुख्य सूचना आयुक्त श्री शत्रुघ्न सिंह, राज्य सूचना आयुक्त, श्री जे.पी. ममगाई, राज्य सूचना आयुक्त श्री चन्द्र सिंह नपलच्याल तथा मुख्य सूचना आयुक्त, श्री अनिल चन्द्र पुनेठा, राज्य सूचना आयुक्त, श्री विवेक शर्मा, एवं राज्य सूचना आयुक्त, श्री विपिन चन्द्र द्वारा की गयी।

राज्य सूचना आयोग के लिए अधिनियम में दी गयी व्यवस्थायें

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के अनुसार राज्य सरकार गजट में अधिसूचना जारी करके एक राज्य सूचना आयोग का गठन करेगी। राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा यथा आवश्यक अधिकतम दस राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं। इन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा की जायेगी। इस समिति के अध्यक्ष मा. मुख्यमंत्री होंगे तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता तथा मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे।
- अधिनियम की धारा 15(5) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त वही व्यक्ति नियुक्त किये जा सकेंगे जो सार्वजनिक जीवन में जानेमाने व्यक्ति हों तथा उन्हें कानून, विज्ञान व टेक्नॉलाजी, समाज सेवा, प्रबन्धन, पत्रकारिता, मास मीडिया या प्रशासन क्षेत्र का विस्तृत ज्ञान व अनुभव हो। इन्हें न तो सांसद होना चाहिए और न ही किसी राज्य की विधानसभा या विधान मंडल का सदस्य होना चाहिये। उन्हें किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी भी नहीं होना चाहिये। इन्हें किसी व्यापार या व्यवसाय में भी नहीं लिप्त होना चाहिये।

- मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्तों को महामहिम श्री राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी।
- मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त श्री राज्यपाल को सम्बोधित इस्तीफा देकर किसी भी समय अपना पद त्याग सकते हैं।
- राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तें व भत्ते सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अनुसार होंगे।
- मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य राज्य सूचना आयुक्तों को अपने कार्य करने के लिये आवश्यकतानुसार स्टाफ आदि की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- उत्तराखण्ड सूचना आयोग का कार्यालय सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून से संचालित हो रहा है।

आयोग की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्तियां

शिकायतों पर कार्यवाही

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के अधीन आयोग किसी भी नागरिक को सूचना न मिलने, मिथ्या अथवा भ्रामक सूचना उपलब्ध कराने, अनुचित फीस मांगने, अभिलेख उपलब्ध न कराने अथवा समय से सूचना उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में किसी लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायत को दर्ज कर उसकी जांच अधिनियम की धारा 18(2) में कर सकता है। ऐसी जांचों के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 18(3) में आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गयी हैं :

- किन्हीं व्यक्तियों को समन करना, और उन्हें उपस्थित कराना, शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना।

- दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना।
- किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मांगना।
- साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना।
- कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये।

आयोग स्तर पर द्वितीय अपील का निस्तारण

लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरुद्ध प्रथम अपील, लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी, जिसे अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है, को विनिश्चय के 30 दिन के भीतर की जा सकती है। प्रथम अपील के विभागीय अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में 90 दिन के भीतर की जा सकेगी। द्वितीय अपील में अपने विनिश्चय के सम्बन्ध में राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं :

- लोक प्राधिकारियों से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना जो अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों।
- सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्रारूप में ऐसा अनुरोध किया गया है।
- लोक प्राधिकारियों में यथास्थिति लोक सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी को नियुक्त करना।
- लोक प्राधिकारी के यहां अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनिष्टीकरण से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना।
- अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार के सम्बन्ध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना।
- लोक प्राधिकारी से शिकायकर्ता को, उसके द्वारा वहन की गयी किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना।
- अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना।

द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय बाध्यकारी होगा।

शास्ति एवं विभागीय कार्यवाही

अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत आयोग यदि किसी शिकायत या अपील के विनिश्चय करते समय पाता है कि किसी लोक सूचना अधिकारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिये आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है, या असदभावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट किया है जो अनुरोध का विषय थी या सूचना देने में बाधा डाली है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकता है, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी। परन्तु शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व संबंधित लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा। अधिनियम की धारा 20(2) के अधीन आयोग ऐसे प्रकरणों में लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध विभागीय सेवा नियमावली के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अधिनियम की धारा 25 में सूचना आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में लोक प्राधिकारी के कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के अधिकार प्रदान किये गये हैं। इनमें मुख्यतः :

- प्रत्येक विभाग / लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचनाओं को एकत्रित कराना जो इस अधिनियम के अन्तर्गत वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है।
- प्रत्येक विभाग / लोक प्राधिकारी इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस सूचना को आयोग को देने तथा अभिलेख रखने से सम्बन्धित अपेक्षाओं का पालन करेगा।
- सूचना आयोग ऐसे सुधार के लिए सिफारिशें राज्य सरकार को प्रेषित करेगा जिनके अंतर्गत इस अधिनियम या विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने के सुसंगत कोई अन्य विषय भी हैं।
- यदि सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के

सम्बन्ध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं हैं तो वह लोक प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुये, जो ऐसी अनुरूपता बढ़ाने के लिए किये जाने चाहिए, सिफारिश कर सकेगा।

वार्षिक प्रतिवेदन

आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(1) के प्राविधान के क्रम में प्रत्येक वर्ष अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में एक वार्षिक रिपोर्ट / प्रतिवेदन

तैयार किया जाता है तथा उसकी प्रतियां राज्य सरकार को प्रेषित की जाती हैं। अधिनियम की धारा 25(4) के अनुसार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य सरकार द्वारा विधान मण्डल के पटल पर रखा जाता है।

उक्त वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा अपने – अपने लोक प्राधिकारियों के सम्बन्ध में आयोग द्वारा अपेक्षित सूचना को अधिनियम की धारा 25(2) के क्रम में आयोग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना होता है।

पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त

क.सं.	नाम	कार्यकाल		अधिसूचना संख्या एवं दिनांक
1	डा. आर. एस. टोलिया	18.10.2005	17.10.2010	252/XXII/2005-1(20)2005 03.10.2005
2	श्री एन. एस. नपलच्याल	19.10.2010	01.04.2015	933/XXX/13(G)/2009-52(5)207 19.10.2010
3	श्री शत्रुघ्न सिंह	19.11.2016	18.05.2021	1342(i)/XXXI/15(G)-02/2016 08.11.2016

पूर्व राज्य सूचना आयुक्त

क.सं.	नाम	कार्यकाल		अधिसूचना संख्या एवं दिनांक
1	श्री विनोद नौटियाल	16.12.2009	15.12.2014	780/XXX/13(G)2009 11.11.2009
2	श्री प्रभात डबराल	19.10.2010	18.10.2015	935/XXX/13(G)/2009-52(5)207 19.10.2010
3	श्री अनिल कुमार शर्मा	19.10.2010	18.10.2015	934/XXX/13(G)/2009-52(5)207 19.10.2010
4	श्री राजेन्द्र कोटियाल	13.05.2013	12.05.2018	1594/XXXI/13(G)/2013-41/2013 10.05.2013
5	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत	17.01.2014	07.06.2018	81/XXXI/13(G)/15-2/ 01.04.2015
6	श्री जे. पी. ममगाई	03.08.2017	18.10.2021	635/XXXI/(15)G-09/2015-18 01.08.2018
7	श्री चन्द्र सिंह नपलच्याल	03.08.2017	17.04.2022	640/XXXI/(15)G-09/2015-18 01.08.2018

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या— /xxxi(15)/G-02(रा0मु0सू0आ0)/2016
देहरादून दिनांक: 08 नवम्बर, 2016
अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्री शत्रुघ्न सिंह को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन श्री शत्रुघ्न सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
3. यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अनुरूप श्री शत्रुघ्न सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के लिए होगी।
4. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

संख्या—1342(4)/xxxi(15)/G-02(रा0मु0सू0आ0) /2016तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, विधान सभा भवन, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
12. श्री शत्रुघ्न सिंह, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
13. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून।
14. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजकीय गजट असाधारण के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख में आगामी तिथि में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

संख्या- ११६/xxxi(15)/G/21-02(रा०सू०आ०)/2015
देहरादून दिनांक: 31 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्री अनिल चन्द्र पुनेठा, आई०ए०एस० (से०नि०), निवासी-प्लॉट नं०-200, रोड नं०-14, प्रशासन नगर, जुबिली हिल्स, हैदराबाद, (तेलंगाना), 500110 को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2- यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन श्री अनिल चन्द्र पुनेठा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3- यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) एवं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना संख्या- 635, दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अनुरूप श्री अनिल चन्द्र पुनेठा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी।

4- राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अधीन होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)

संख्या-११६ /xxxi(15)/G/21-02(रा०सू०आ०)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधान सभा, विधान सभा भवन, देहरादून।
6. महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
7. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
8. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11. श्री अनिल चन्द्र पुनेठा, आई०ए०एस० (से०नि०), निवासी-प्लॉट नं०-200, रोड नं०-14, प्रशासन नगर, जुबिली हिल्स, हैदराबाद, (तेलंगाना), 500110।
12. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
13. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून।
14. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजकीय गजट असाधारण के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख में आगामी तिथि में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर।
17. गार्ड फाईल।

(विनोद कुमार सुमन)
31/12/21
सचिव (प्रभारी)

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या- /xxxi(15)/G-09(रा0मु0सू0आ0)/2015-18
देहरादून दिनांक: 01 अगस्त, 2018



अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्री चन्द्र सिंह नपल्ह्याल को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन श्री चन्द्र सिंह नपल्ह्याल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अनुरूप श्री चन्द्र सिंह नपल्ह्याल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के लिए होगी।

4. राज्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या- ~~640~~ /xxxi(15)/G-09(रा0मु0सू0आ0)/2015-18 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, विधान सभा भवन, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
12. श्री चन्द्र सिंह नपल्ह्याल, नि0-ए0-7, टिहरी हाउस, राजपुर, देहरादून।
13. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून।
14. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजकीय गजट असाधारण के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख में आगामी तिथि में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(चन्द्रेश कुमार) 01/08/18
अपर सचिव।



उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या- /xxxi(15)/G-09(रा0मु0सू0आ0)/2015-18
देहरादून दिनांक: 01 अगस्त, 2018

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्री जे0पी0 ममगाई को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन श्री जे0पी0 ममगाई द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अनुरूप श्री जे0पी0 ममगाई द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के लिए होगी।

4. राज्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)

अपर मुख्य सचिव

संख्या-635/xxxi(15)/G-09(रा0मु0सू0आ0)/2015-18 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, विधान सभा भवन, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
12. श्री जे0पी0 ममगाई नि0-402 ताज अपार्टमेंट्स, 02 फैक्ट्री रोड, निकट सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली-110029।
13. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून।
14. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजकीय गजट असाधारण के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख में आगामी तिथि में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चन्द्रेश कुमार)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या- ११८/xxxi(15)/G/21-02(रा0सू0आ0)/2015
देहरादून दिनांक: 3 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्री विवेक शर्मा, एडवोकेट, निवासी-5, तेग बहादुर रोड, लेन नं0-3, डालनवाला, देहरादून को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2- यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन श्री विवेक शर्मा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3- यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) एवं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना संख्या- 635, दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अनुरूप श्री विवेक शर्मा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए या पैंसत वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी।

4- राज्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अधीन होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)

संख्या- ११८ / xxi(15)/G/21-02(रा0सू0आ0)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधान सभा, विधान सभा भवन, देहरादून।
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
7. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
8. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11. श्री विवेक शर्मा, एडवोकेट, निवासी-5, तेग बहादुर रोड, लेन नं0-3, डालनवाला, देहरादून।
12. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
13. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून।
14. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजकीय गजट असाधारण के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख में आगामी तिथि में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर।
17. गार्ड फाईल।

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या-११७ /xxxi(15)/G/21-02(रा०सू०आ०)/2015
देहरादून दिनांक: 31 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्री विपिन चन्द्र, निवासी-डी-2/338, पण्डारा रोड, नई दिल्ली-03 को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2- यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन श्री विपिन चन्द्र द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3- यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) एवं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना संख्या- 635, दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अनुरूप श्री विपिन चन्द्र द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी।

4- राज्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अधीन होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)

संख्या-११७ /xxxi(15)/G/21-02(रा०सू०आ०)/2015 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधान सभा, विधान सभा भवन, देहरादून।
6. महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
7. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
8. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11. श्री विपिन चन्द्र, निवासी-डी-2/338, पण्डारा रोड, नई दिल्ली-03।
12. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
13. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून।
14. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजकीय गजट असाधारण के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख में आगामी तिथि में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर।
17. गार्ड फाईल।

Winnu
31/12/21
(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)



**आयोग की
संस्तुतियों पर
राज्य सरकार द्वारा
की गयी कार्यवाही**



सूचना का
अधिकार

आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही

आयोग द्वारा राज्य सरकार को ऐसी संस्तुतियाँ की जाती हैं जिनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों को सकारात्मक एवं व्यापक रूप में क्रियान्वित किये जाने में सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसी संस्तुतियाँ सूचना आयोग द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से की जाती हैं।

इसी क्रम में आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के सम्मिलित वार्षिक प्रतिवेदन में 02 संस्तुतियाँ राज्य सरकार को की गयी थीं।

संस्तुति : 1

शासन द्वारा प्रख्यापित सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 में विद्यमान नियम 3(क), 5(क), 5(च), 6(ग)(1), 7(क), 8(क), 8(घ), 9(क), 9(घ), 9(ड)(1) तथा 11(च) में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

आयोग की संस्तुति है कि उपरोक्त नवीन प्रस्ताव में दिये गये संशोधनों के अनुसार सूचना का अधिकार

नियमावली, 2013 में नियमों को संशोधित कर नवीन संशोधित नियमावली को प्रख्यापित करने की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाये।

संस्तुति : 2

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त किये जाने वाले आवेदन शुल्क/अतिरिक्त शुल्क को वर्तमान में पोस्टल ऑर्डर अथवा नगद जमा कराये जाने की वर्तमान व्यवस्था के कारण होने वाली कठिनाई के सम्बन्ध में जनसामान्य से कई पत्र/अनुरोध आयोग में प्राप्त हो रहे हैं। वर्तमान समय में जनसामान्य द्वारा ऑनलाईन भुगतान के माध्यम को एक सुविधाजनक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

आयोग की संस्तुति है कि जनसामान्य को होने वाली कठिनाई के निराकरण के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त किये जाने वाले आवेदन शुल्क/अतिरिक्त शुल्क को में ऑनलाईन भुगतान प्रणाली के माध्यम से भी प्राप्त किये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

वर्ष	संस्तुतियों की संख्या	कृत कार्यवाही
2005 — 06	03	03
2006 — 07	20	12
2007 — 08	08	04
2008 — 09	09	04
2009 — 10	04	04
2010 — 11	05	05
2011 — 12	03	02
2012 — 13	03	02
2013 — 14	05	02
2014 — 15	05	05
2015 — 16	13	13
2016 — 17 एवं 2017 — 18	02	02
2018 — 19 एवं 2019 — 20	02	—



सूचना का
अधिकार



**सूचना आवेदन पत्रों,
द्वितीय अपीलों एवं
शिकायतों का
संख्यात्मक विवरण**



सूचना का
अधिकार

सूचना आवेदन पत्रों, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का संख्यात्मक विवरण

विभिन्न लोक प्राधिकारियों के स्तर से आयोग को मासिक प्रगति विवरणों तथा आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के संख्यात्मक विवरण को निम्नलिखित ग्राफ / संख्यात्मक विवरण के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है :

- 4.1 लोक प्राधिकारीवार प्रगति विवरण (वर्ष 2020-21)
- 4.2 लोक प्राधिकारीवार प्रगति विवरण (वर्ष 2021-22)
- 4.3 लोक प्राधिकारीवार प्राप्त सूचना आवेदन पत्र (वर्ष 2020-21)
- 4.4 लोक प्राधिकारीवार प्राप्त सूचना आवेदन पत्र (वर्ष 2021-22)
- 4.5 लोक प्राधिकारियों को प्राप्त एवं उनके द्वारा निस्तारित सूचना आवेदन पत्रों का तुलनात्मक विवरण
- 4.6 लोक प्राधिकारीवार आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या (वर्ष 2020-21)
- 4.7 लोक प्राधिकारीवार आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या (वर्ष 2021-22)
- 4.8- 4.9 आयोग में पंजीकृत, निस्तारित औरी अवशेष द्वितीय अपीलों का विवरण
- 4.10 जनपदवार प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या, प्रतिशत में (वर्ष 2020-21)
- 4.11 जनपदवार प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या, प्रतिशत में (वर्ष 2021-22)
- 4.12 द्वितीय अपीलों का महिला – पुरुष अनुपात (वर्ष 2020-21)
- 4.13 द्वितीय अपीलों का महिला – पुरुष अनुपात (वर्ष 2021-22)
- 4.14 द्वितीय अपीलों का ग्रामीण – शहरी क्षेत्र का अनुपात (वर्ष 2020-21)
- 4.15 द्वितीय अपीलों का ग्रामीण – शहरी क्षेत्र का अनुपात (वर्ष 2021-22)
- 4.16 जनपदवार प्राप्त शिकायतों का प्रतिशत (वर्ष 2020-21)
- 4.17 जनपदवार प्राप्त शिकायतों का प्रतिशत (वर्ष 2021-22)
- 4.18 प्राप्त शिकायतों में महिला – पुरुष अनुपात (वर्ष 2020-21)
- 4.19 प्राप्त शिकायतों में महिला – पुरुष अनुपात (वर्ष 2021-22)
- 4.20 प्राप्त शिकायतों का ग्रामीण – शहरी क्षेत्र अनुपात (वर्ष 2020-21)
- 4.21 प्राप्त शिकायतों का ग्रामीण – शहरी क्षेत्र अनुपात (वर्ष 2021-22)

लोक प्राधिकारी / विभागवार प्रगति विवरण

वर्ष : 2020 - 21

क्र.सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र			प्रथम अपील			प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकत्रित कुल धनराशि (रु.)	स्तंभ 5 के सापेक्ष अनुरोधों को अस्वीकृत करते समय किन प्रावधानों को लागू किया गया													
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या		सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धारायें													
									धारा 8 (1)										धारा 9	धारा 11	धारा 24	
									(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	कृषि	945	878	2	93	69	0	36855														
2	पशुपालन एवं मत्स्य	315	137	0	8	2	6	4137														
3	मुख्यमंत्री कार्यालय	529	514	21	33	19	2	6472														
4	नागरिक उड्डयन	14	14	0	2	2	0	1218														
5	गोपन	17	14	0	1	1	0	245														
6	सहकारिता	371	350	4	85	80	0	5714														
7	संस्कृति एवं अभिलेखागार	51	45	0	7	7	0	310														
8	डेयरी विकास	124	132	0	28	31	0	3248														
9	आपदा प्रबंधन	8	8	0	0	0	0	70														
10	पेयजल	967	751	0	215	185	8	8700														
11	उच्च शिक्षा	2135	2006	0	128	135	5	51381														
12	विद्यालयी शिक्षा	3136	2940	0	487	435	0	51333														
13	प्राविधिक शिक्षा	235	235	0	16	16	0	2630														
14	निर्वाचन	318	323	1	13	12	0	7003														
15	ऊर्जा	997	920	0	210	191	2	10116														
16	राज्य सम्पत्ति																					
17	सैनिक कल्याण	34	33	0	6	4	0	286														
18	आबकारी	360	367	0	15	15	0	13247														
19	वित्त	2127	2013	20	156	133	2	79431														
20	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1650	1648	0	245	245	0	38310														
21	वन	5637	4716	17	193	144	9	85276														
22	सामान्य प्रशासन	456	402	48	30	30	0	6035														
23	चिकि. स्वा. एवं परिवार कल्याण	782	762	9	88	81	3	12734														
24	गृह	6641	5409	32	853	709	35	87270							2	2		6	1	8	12	
25	उद्यान खाद्य प्रस. एवं रेशम	155	143	1	6	7	0	5914														
26	आवास	1295	1295	0	0	0	0	6731														
27	उद्योग	895	843	0	24	24	0	7200														
28	सूचना प्रौद्योगिकी	27	27	0	7	7	0	1565														
29	सूचना	213	181	1	21	18	0	23560														
30	सिंचाई	751	507	11	122	153	4	24748														
31	न्याय	18	18	0	0	6	6	576														
32	श्रम एवं सेवायोजन	1230	1164	1	48	38	0	26100														
33	चिकित्सा शिक्षा	42	42	0	15	15	0	4320														
34	लघु सिंचाई	147	134	0	17	17	0	2192														
35	पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण	227	210	1	18	17	0	13100														
36	विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा	15	15	0	4	4	0	450														
37	कार्मिक	802	761	0	55	41	0	22461														
38	नियोजन	65	41	0	2	0	0	2118														
39	प्रोटोकाल																					
40	लोक निर्माण विभाग	2163	1288	0	257	210	0	48598														
41	धर्मस्व	7	7	0	2	2	0	110														

क.सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र			प्रथम अपील			प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकत्रित कुल धनराशि (रु.)	स्तंभ 5 के सापेक्ष अनुरोधों को अस्वीकृत करते समय किन प्रावधानों को लागू किया गया												
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या		सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धारायें												
									धारा 8 (1)										धारा 9	धारा 11	धारा 24
									(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
42	राजस्व	9245	7294	152	983	701	171	89894													
43	ग्राम्य विकास	1168	1029	16	587	515	4	18163													
44	सचिवालय प्रशासन	216	213	0	16	15	1	7699													
45	समाज कल्याण	1246	969	8	32	38	8	7822													
46	खेल	16	15	0	2	1	0	410													
47	राज्य पुनर्गठन																				
48	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	143	115	1	18	16	0	1396													
49	पर्यटन	16	16	0	3	3	0	240													
50	परिवहन	1153	988	4	48	46	0	5037													
51	शहरी विकास	1413	1288	4	145	103	3	11710													
52	सतर्कता	8	8	0	3	3	0	380													
53	जलागम प्रबंधन	47	36	0	11	10	0	1480													
54	महिला सशक्तिकरण एवं बाल वि.	437	397	0	7	7	0	3107													
55	युवा कल्या. एवं प्रांतीय रक्षक दल	53	52	0	8	6	0	1160													
56	राजभवन	157	157	0	9	9	0	3886													
57	विधान सभा	37	37	0	16	6	0	1900													
58	उच्च न्यायालय	236	245	1	33	38	30	2330										1			
59	विज्ञान प्रौद्योगिकी																				
60	अन्य	9	9	0	2	2	0	210													
	कुल योग	51501	44161	355	5433	4624	299	858588	0	0	0	0	0	0	2	2	0	7	1	8	12

*(प्रदेश के लोक प्राधिकारियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर)

लोक प्राधिकारी / विभागवार प्रगति विवरण

वर्ष : 2021 - 22

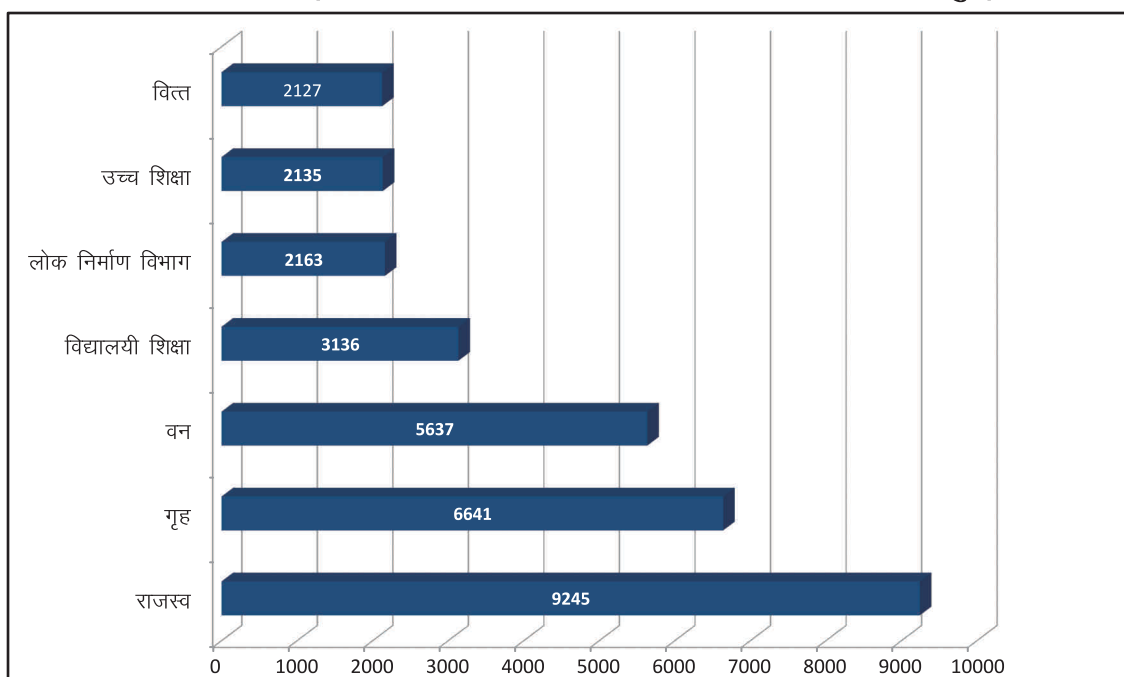
क.सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र			प्रथम अपील			प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकत्रित कुल धनराशि (रु.)	स्तंभ 5 के सापेक्ष अनुरोधों को अस्वीकृत करते समय किन प्रावधानों को लागू किया गया													
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या		सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धारायें													
									धारा 8 (1)										धारा 9	धारा 11	धारा 24	
									(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	कृषि	1249	1113	11	207	198	36	27634														
2	पशुपालन एवं मत्स्य	322	246	0	27	22	1	7848														
3	मुख्यमंत्री कार्यालय	404	404	0	14	14	0	4190														
4	नागरिक उड्डयन	8	8	0	2	2	0	1020														
5	गोपन	27	21	0	11	8	0	1540														
6	सहकारिता	240	241	12	161	105	6	5406														
7	संस्कृति एवं अभिलेखागार	18	18	0	6	4	0	410														
8	डेयरी विकास	158	140	2	6	4	0	9144														
9	आपदा प्रबंधन																					
10	पेयजल	1692	1138	0	127	98	0	3792														
11	उच्च शिक्षा	953	939	0	41	39	0	15380														
12	विद्यालयी शिक्षा	3655	3526	29	420	407	16	39095														
13	प्राविधिक शिक्षा	766	728	5	103	96	2	4986														
14	निर्वाचन	161	151	1	15	11	0	6913														
15	ऊर्जा	467	438	8	120	102	1	15432														
16	राज्य सम्पत्ति																					
17	सैनिक कल्याण	71	71	0	12	12	0	864														
18	आबकारी	131	119	0	48	31	0	6894														
19	वित्त	1506	1204	17	128	112	5	50903														
20	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	148	125	0	63	41	0	2896														
21	वन	2810	2312	23	241	133	8	60997														
22	सामान्य प्रशासन	131	73	58	16	16	0	3421														
23	चिकि. स्वा. एवं परिवार कल्याण	83	58	1	37	28	0	2648														
24	गृह	5877	4082	238	757	569	14	65402								15	1	23	4	15	27	
25	उद्यान खाद्य प्रस. एवं रेशम	188	175	1	44	71	1	6578														
26	आवास	247	219	3	79	57	0	5790														
27	उद्योग	377	360	0	12	8	0	13756														
28	सूचना प्रौद्योगिकी	11	11	0	4	4	0	980														
29	सूचना	177	172	0	10	9	0	4882														
30	सिंचाई	1067	789	8	215	169	15	20076														
31	न्याय																					
32	श्रम एवं सेवायोजन	891	851	0	34	27	0	20580														
33	चिकित्सा शिक्षा	18	18	0	7	7	0	490														
34	लघु सिंचाई	106	96	1	18	19	0	1500														
35	पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण	103	69	10	1	3	0	3846														
36	विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा	4	4	0	1	1	0	40														

क्र.सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र			प्रथम अपील			प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकत्रित कुल धनराशि (रु.)	स्तंभ 5 के सापेक्ष अनुरोधों को अस्वीकृत करते समय किन प्रावधानों को लागू किया गया												
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या		सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धारायें												
									धारा 8 (1)										धारा 9	धारा 11	धारा 24
									(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
37	कार्मिक	649	609	0	20	25	0	24121													
38	नियोजन	34	18	0	2	2	0	1598													
39	प्रोटोकाल																				
40	लोक निर्माण विभाग	1771	938	0	190	113	0	32279													
41	धर्मस्व																				
42	राजस्व	6178	4860	97	798	517	89	109171	18	13											
43	ग्राम्य विकास	548	472	4	138	127	0	6113													
44	सचिवालय प्रशासन																				
45	समाज कल्याण	690	560	5	33	25	0	13935													
46	खेल	19	19	0	3	3	0	580													
47	राज्य पुनर्गठन																				
48	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	54	51	0	26	26	0	1520													
49	पर्यटन	41	37	0	18	15	0	940													
50	परिवहन	38	38	0	9	9	0	1175													
51	शहरी विकास	584	547	1	21	18	0	6383													
52	सतर्कता																				
53	जलागम प्रबंधन	19	19	0	7	6	0	370													
54	महिला सशक्तिकरण एवं बाल वि.	39	36	0	11	8	0	764													
55	युवा कल्या. एवं प्रांतीय रक्षक दल	24	24	0	14	13	0	1128													
56	राजभवन	165	165	0	10	10	0	2690													
57	विधान सभा	28	28	0	9	9	0	595													
58	उच्च न्यायालय	291	272	0	18	18	16	2470													
59	विज्ञान प्रौद्योगिकी	3	3	0	1	1	0	200													
60	अन्य	16	12	0	4	4	0	160													
	कुल योग	35257	28627	535	4319	3376	210	621525	18	13	0	0	0	0	0	15	1	#	4	15	27

* (प्रदेश के लोक प्राधिकारियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर)

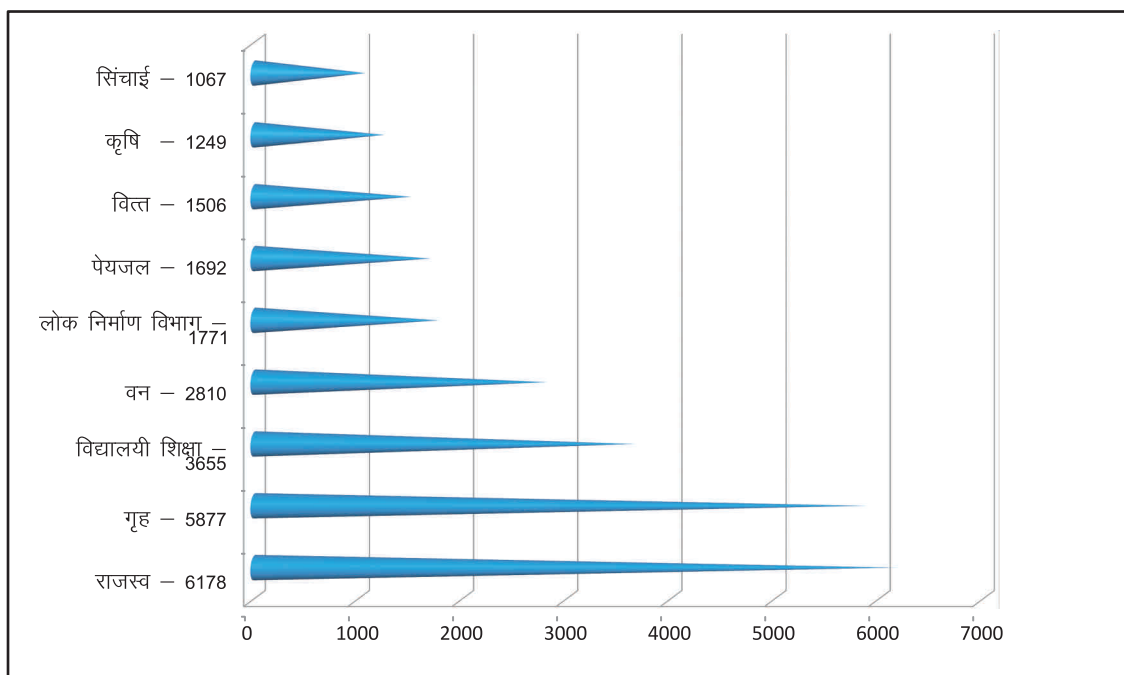
लोक प्राधिकारीवार प्राप्त सूचना आवेदन पत्र (2020-21)

श्रेणी-क (ऐसे विभाग जहाँ 2000 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुये)



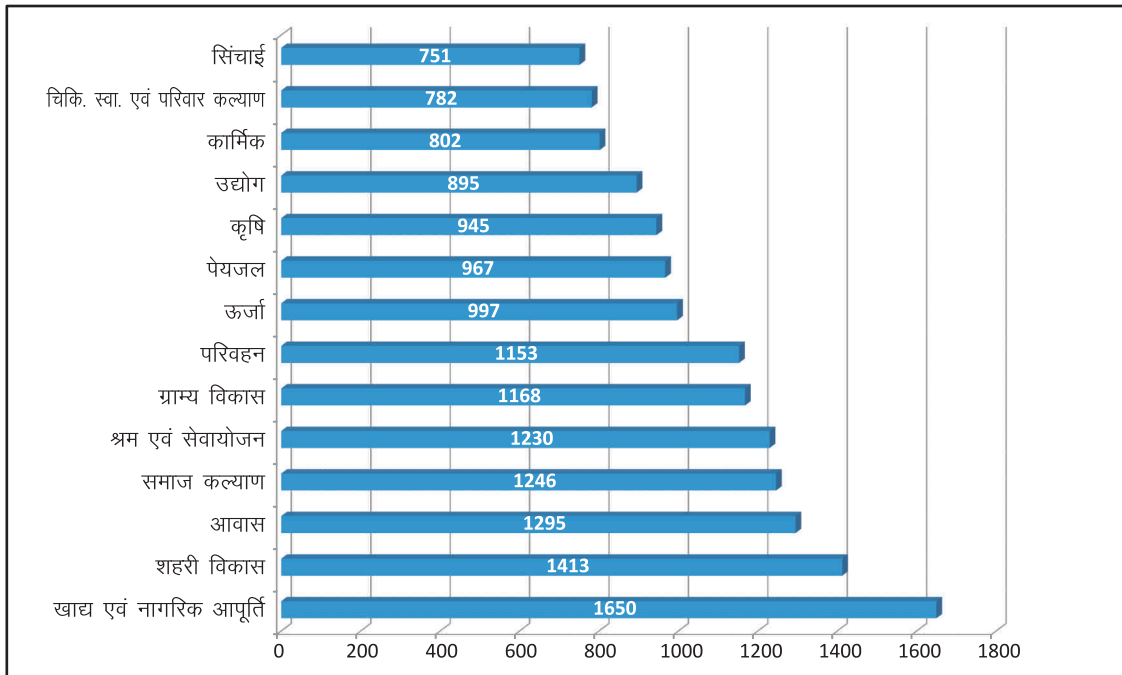
प्राप्त आवेदनों पत्रों की संख्या

श्रेणी-ख (ऐसे विभाग जहाँ 700 से 1600 आवेदन पत्र प्राप्त हुये)



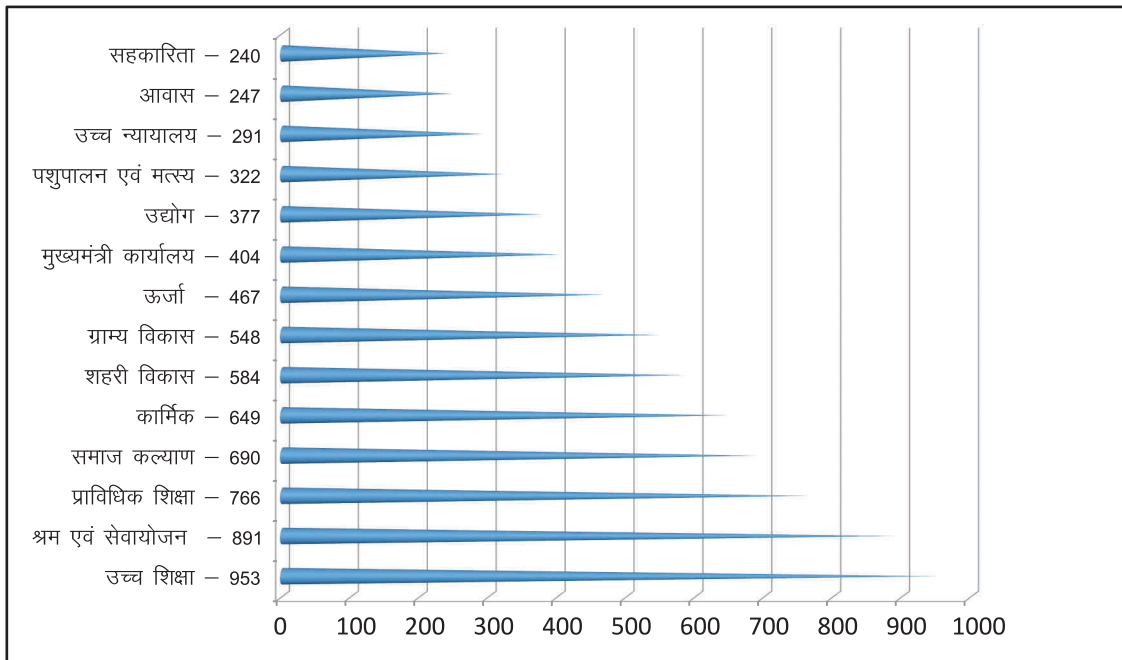
प्राप्त आवेदनों पत्रों की संख्या

श्रेणी-ग (ऐसे विभाग जहाँ 0 से 520 आवेदन पत्र हुये)



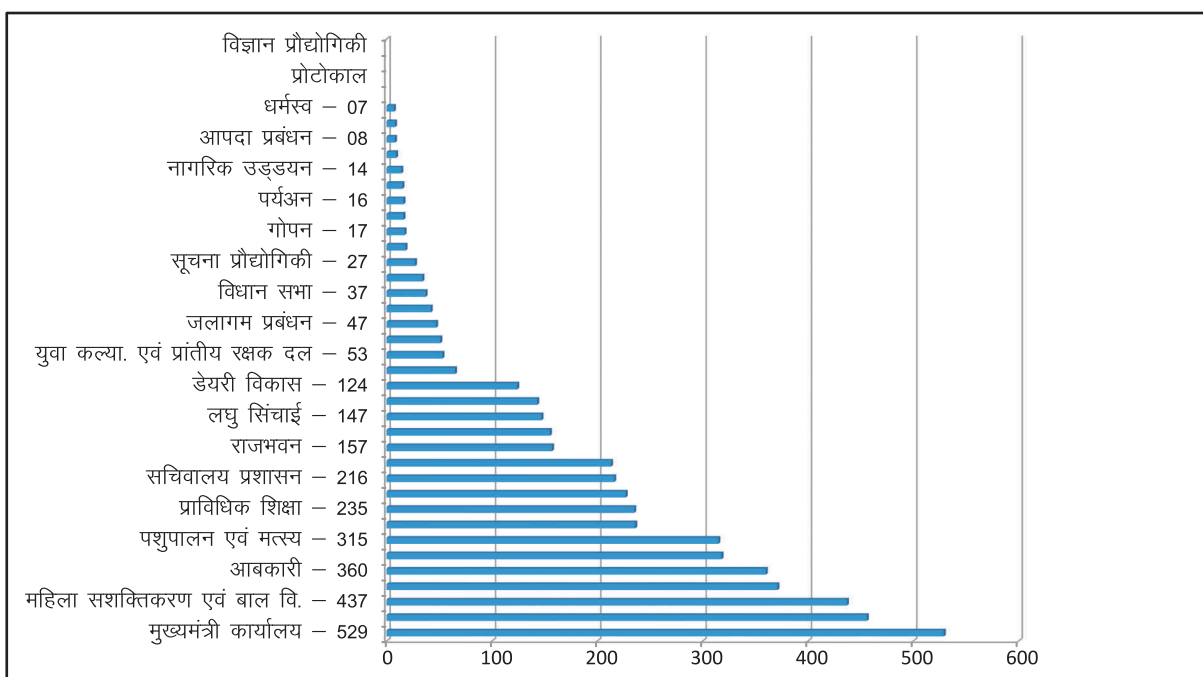
प्राप्त आवेदनों पत्रों की संख्या

लोक प्राधिकारीवार प्राप्त सूचना आवेदन पत्र (2021-22)
श्रेणी-क (ऐसे विभाग जहाँ 900 से 6000 के मध्य आवेदन पत्र प्राप्त हुये)



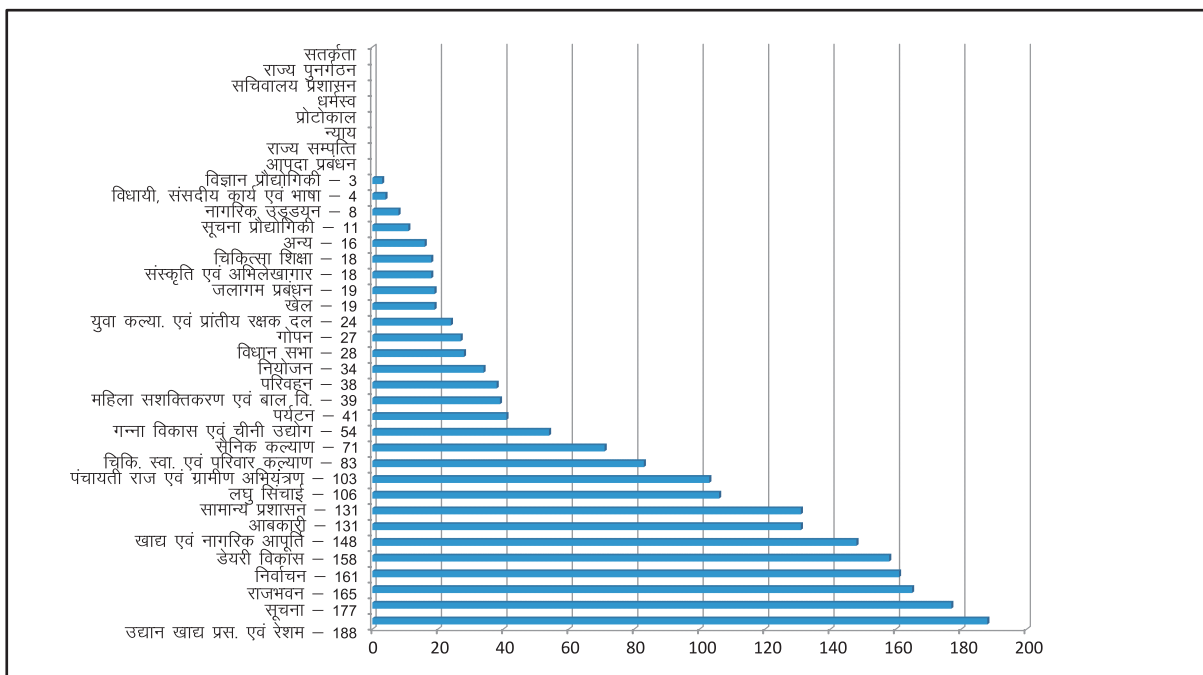
प्राप्त आवेदनों पत्रों की संख्या

श्रेणी-ख (ऐसे विभाग जिन्हें 210 से 950 के मध्य आवेदन पत्र प्राप्त हुये)



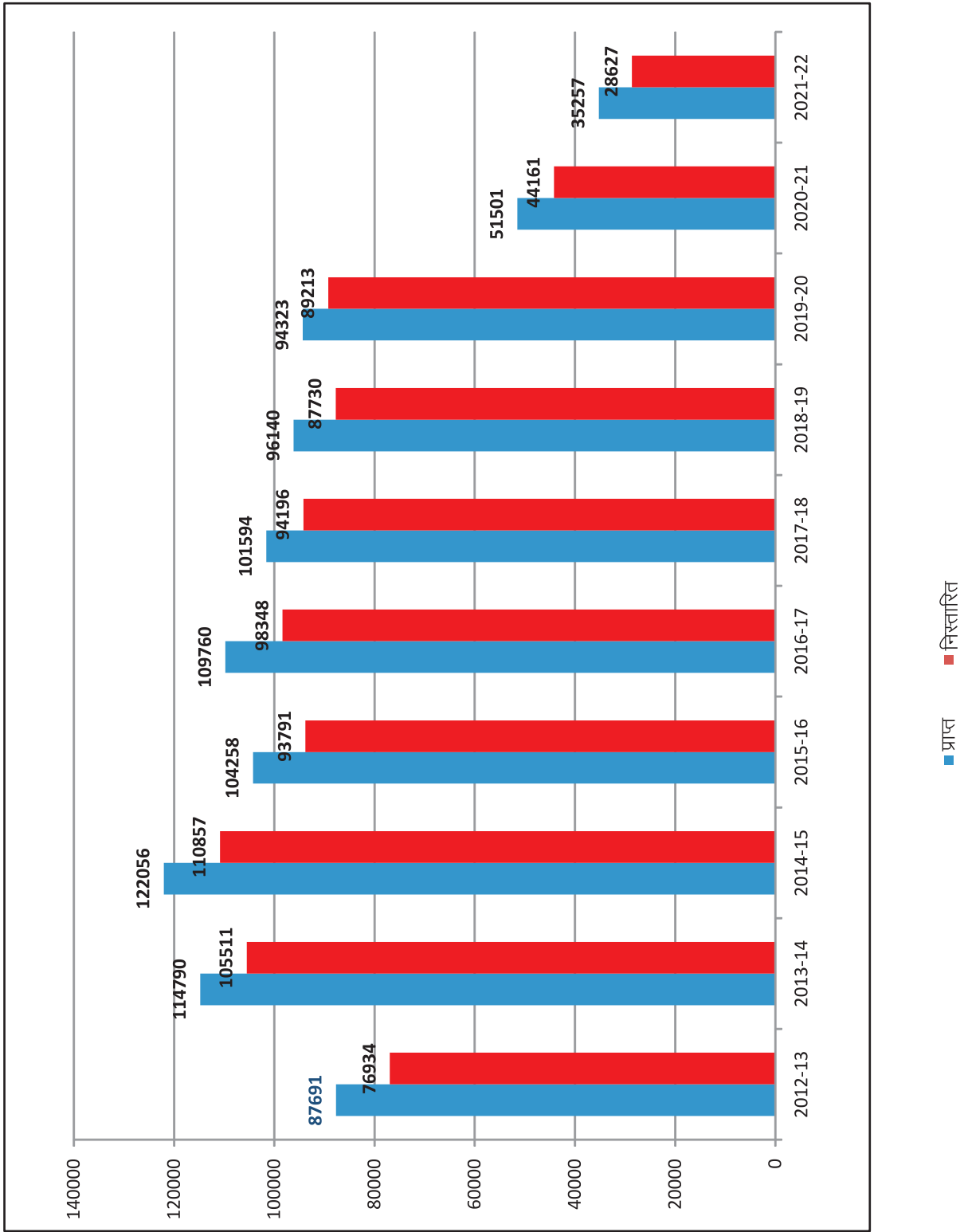
प्राप्त

श्रेणी-ग (ऐसे विभाग जिन्हें 0 से 190 आवेदन पत्र प्राप्त हुये)

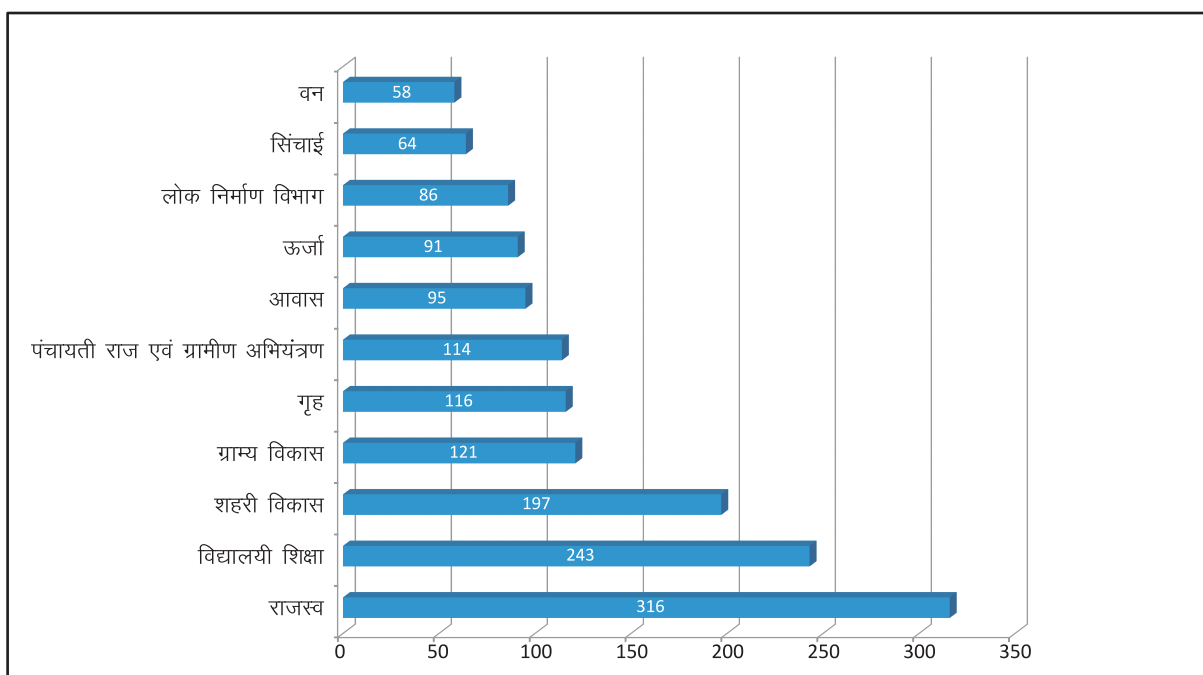


प्राप्त

विगत 10 वर्षों में लोक प्राधिकारियों को प्राप्त एवं उनके द्वारा निस्तारित सूचना आवेदन पत्रों का तुलनात्मक विवरण

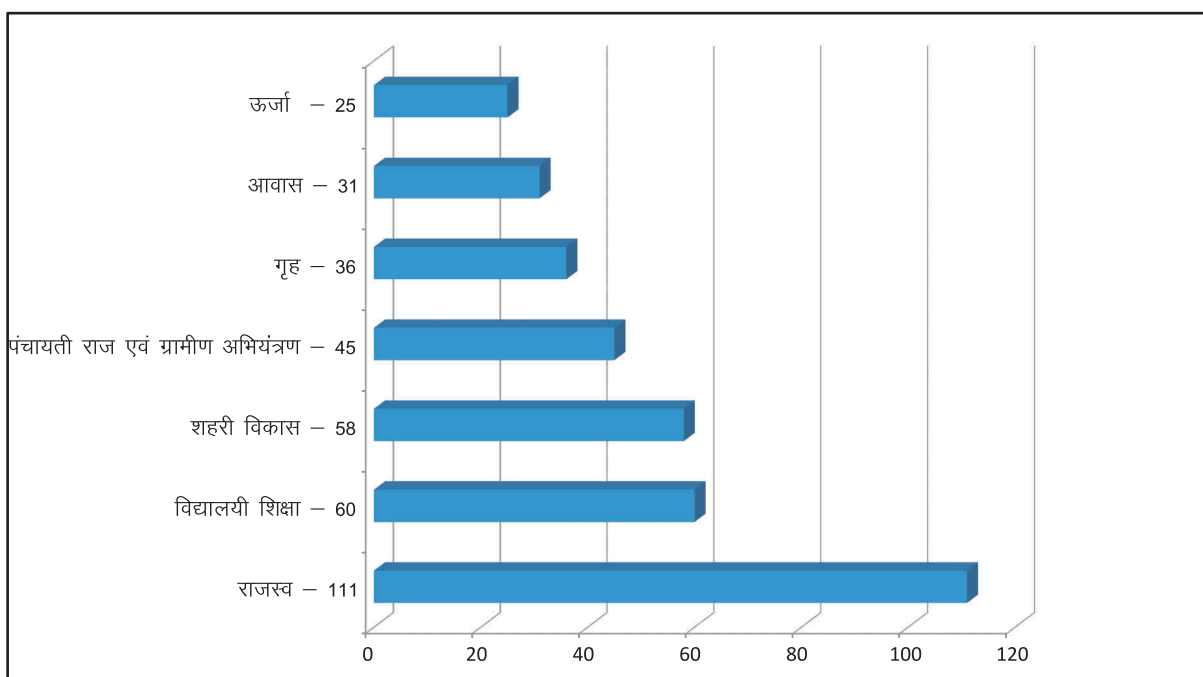


लोक प्राधिकारीवार आयोग में पंजीकृत द्वितीय अपीलों की संख्या (2020-21) श्रेणी-क (ऐसे विभाग जिनके सम्बन्ध में 50 से अधिक संख्या में द्वितीय अपील पंजीकृत हुयी)



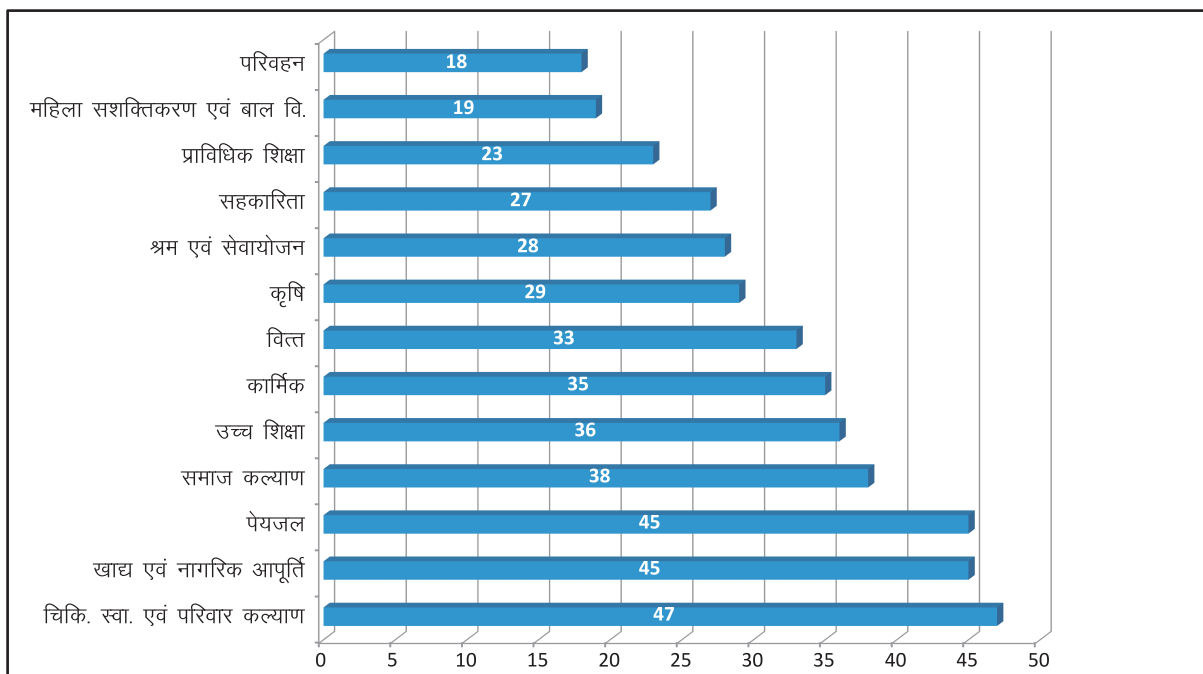
प्राप्त अपील की संख्या

श्रेणी -ख (ऐसे विभाग जिनके सम्बन्ध में 15 से 50 द्वितीय अपील पंजीकृत हुयीं)



प्राप्त अपीलों की संख्या

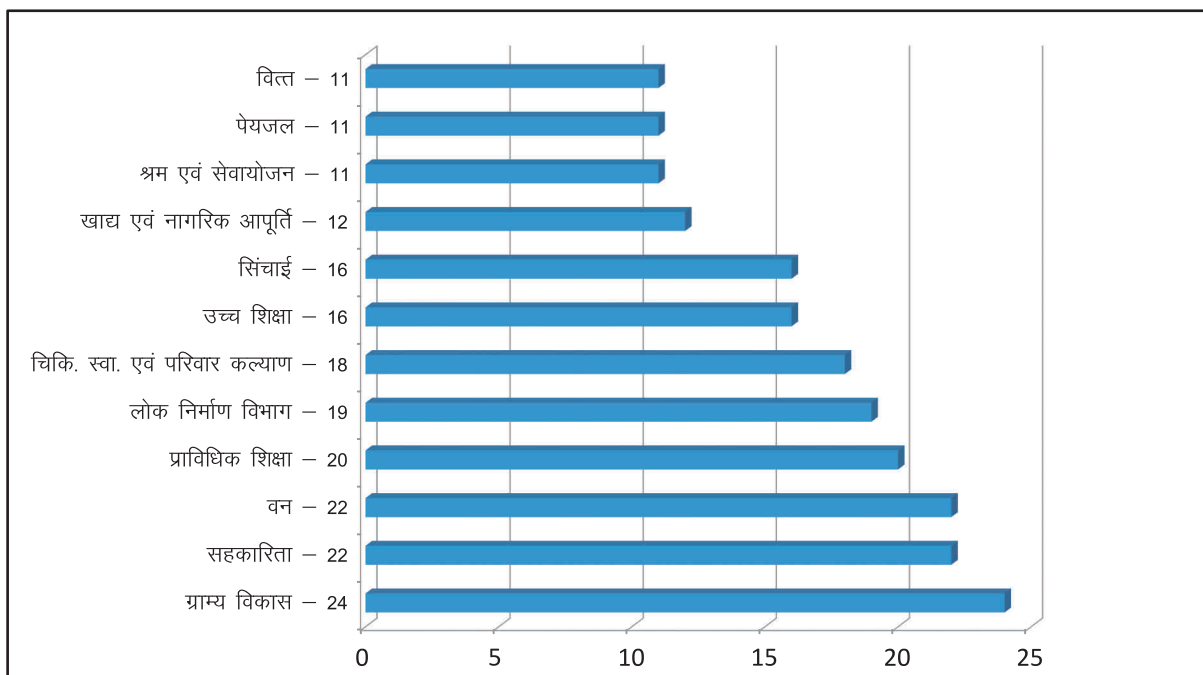
श्रेणी -ग (ऐसे विभाग जिनके सम्बन्ध में 15 से कम द्वितीय अपील पंजीकृत हुयीं)



प्राप्त अपीलों की संख्या

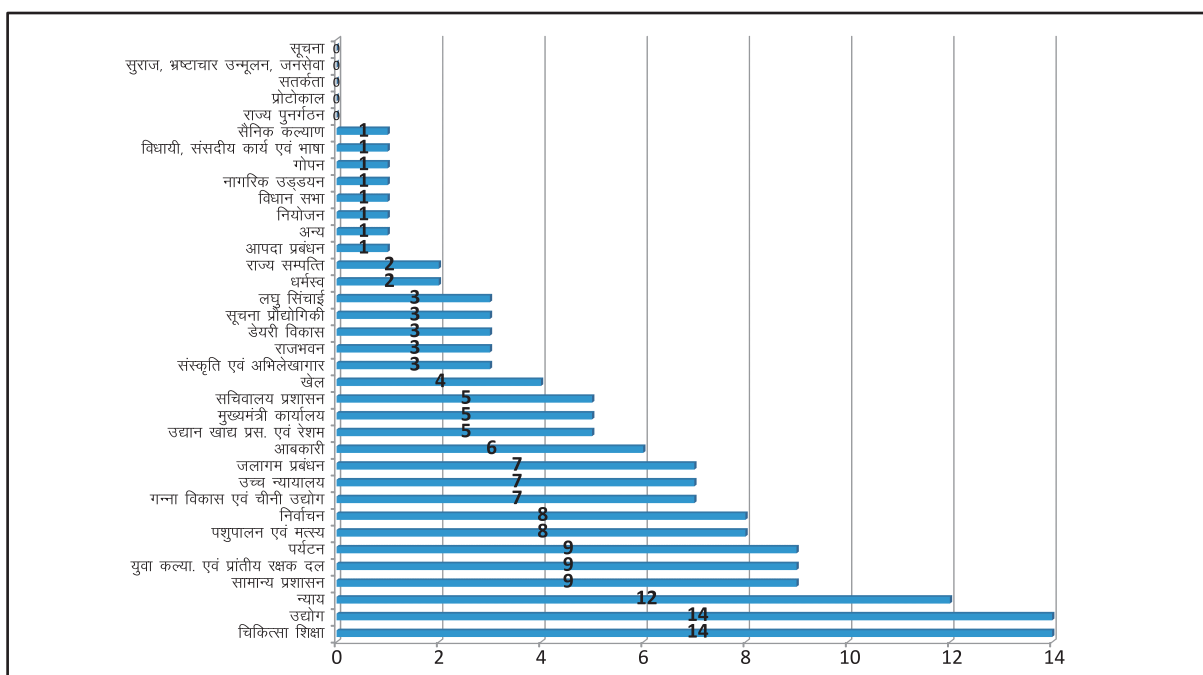
लोक प्राधिकारीवार आयोग में पंजीकृत द्वितीय अपीलों की संख्या (2021-22)

श्रेणी-क (ऐसे विभाग जिनके सम्बन्ध में अधिक संख्या में द्वितीय अपील प्राप्त हुयीं)



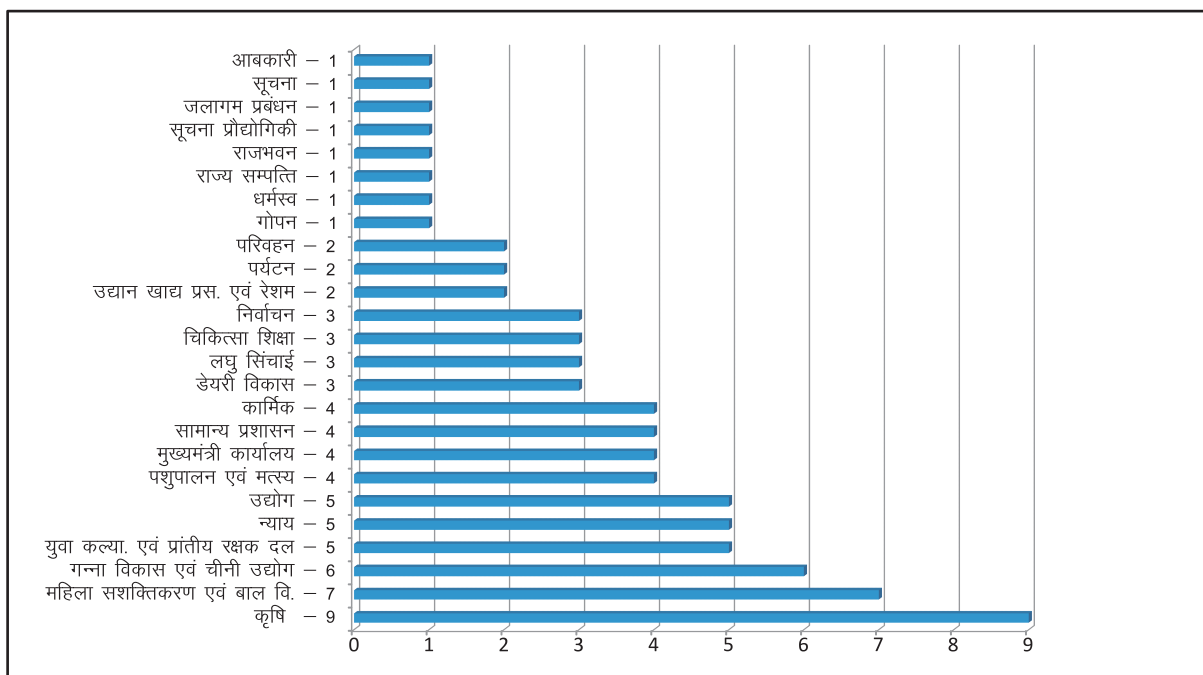
प्राप्त अपीलों की संख्या

श्रेणी –ख (ऐसे विभाग जिनके सम्बन्ध में 10 से 25 के मध्य संख्या में द्वितीय अपील पंजीकृत हुयी)



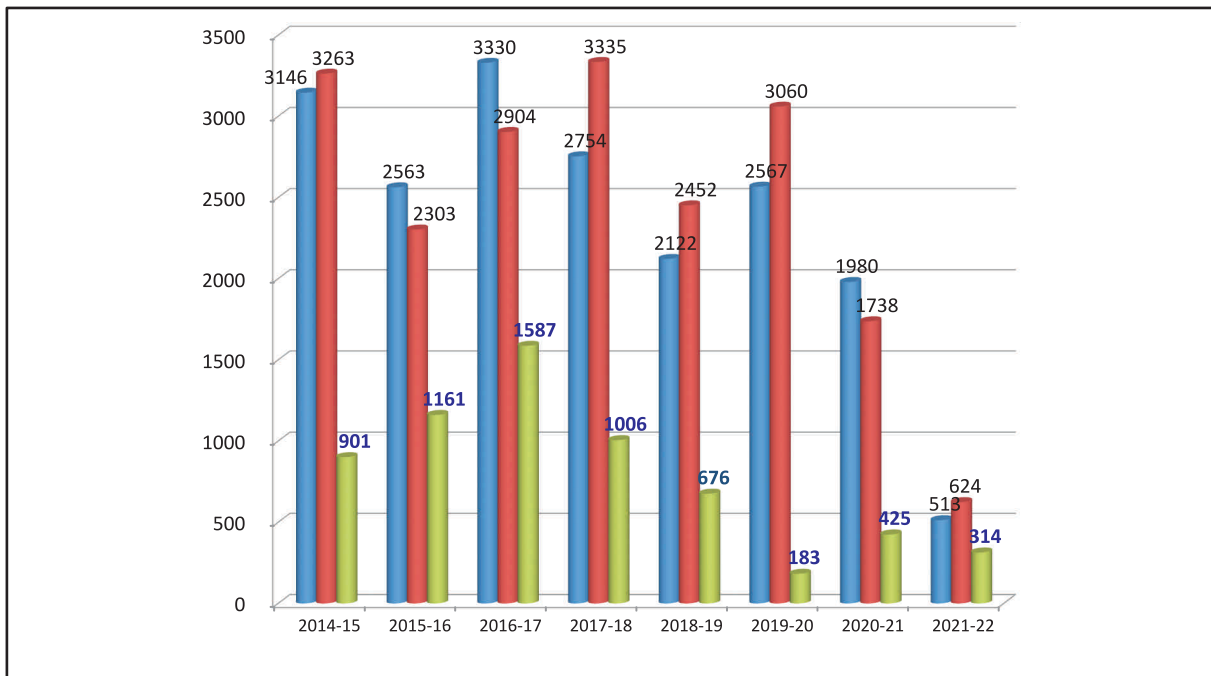
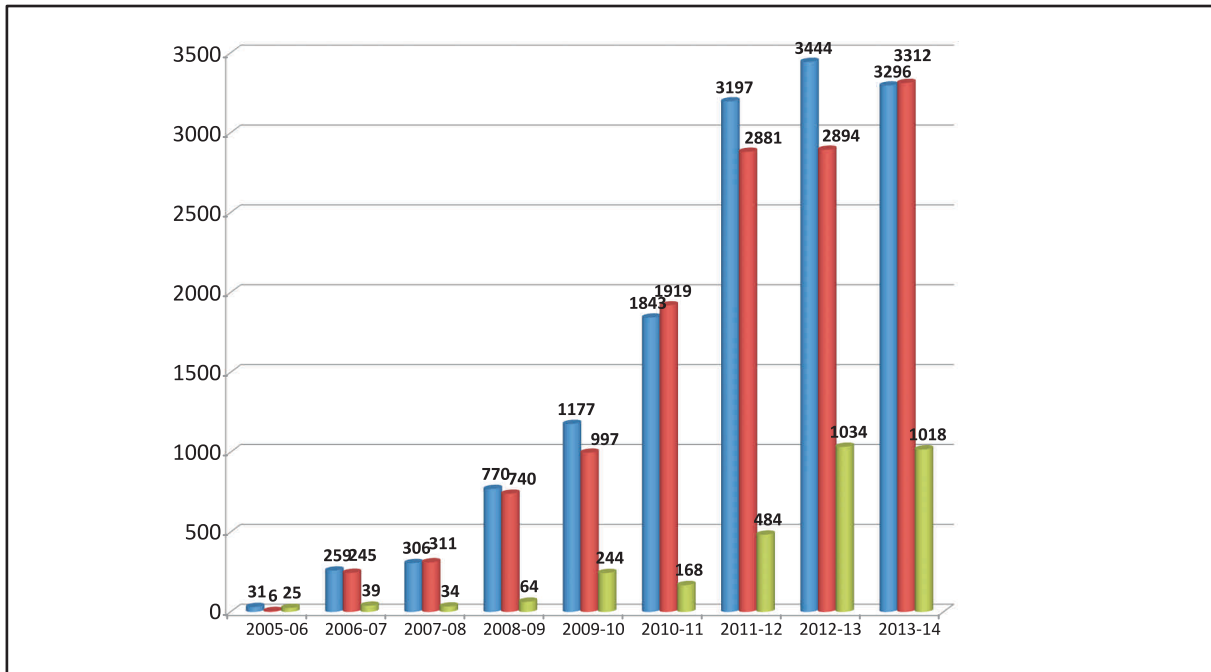
प्राप्त अपीलों की संख्या

श्रेणी –ग (ऐसे विभाग जिनके सम्बन्ध में कम संख्या में द्वितीय अपील पंजीकृत हुयीं)



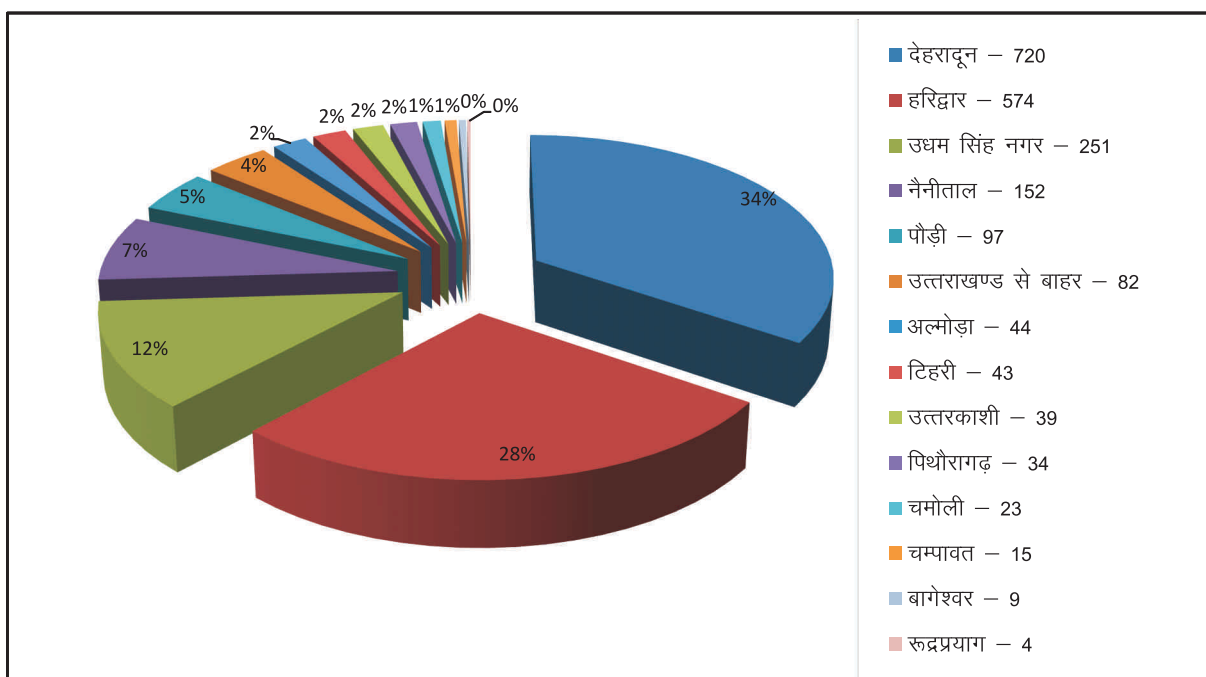
प्राप्त अपीलों की संख्या

आयोग में पंजीकृत, निस्तारित और अवशेष द्वितीय अपीलों का विवरण

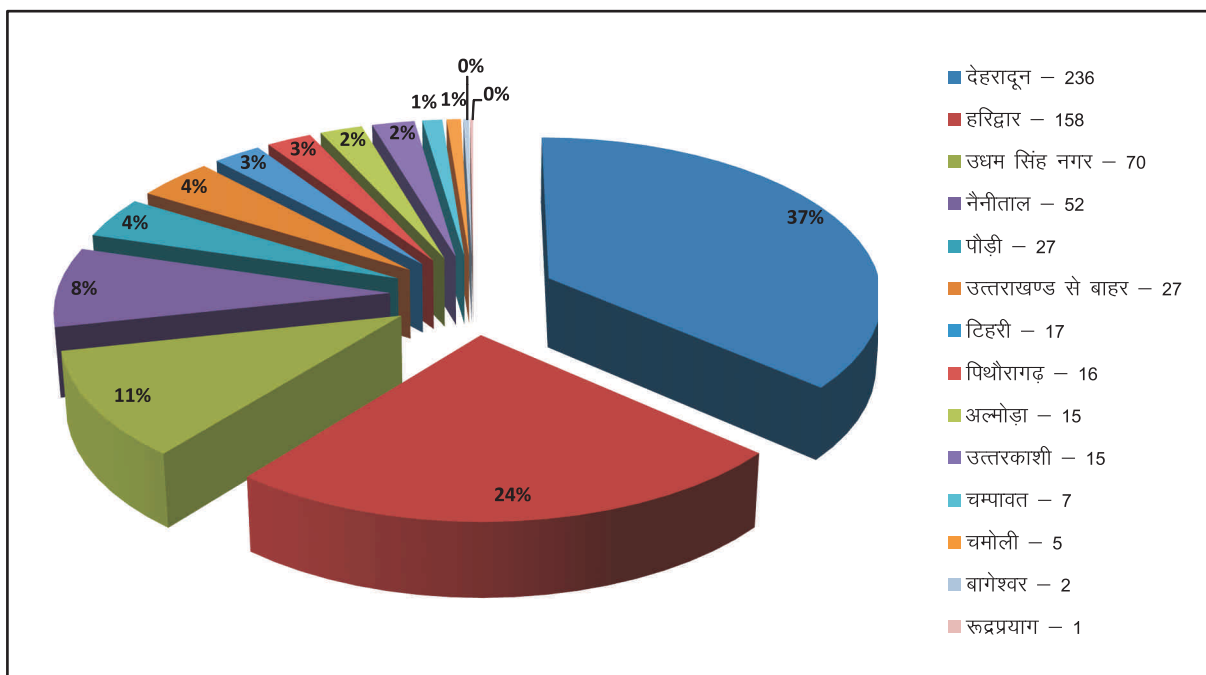


■ पंजीकृत ■ निस्तारित ■ अवशेष

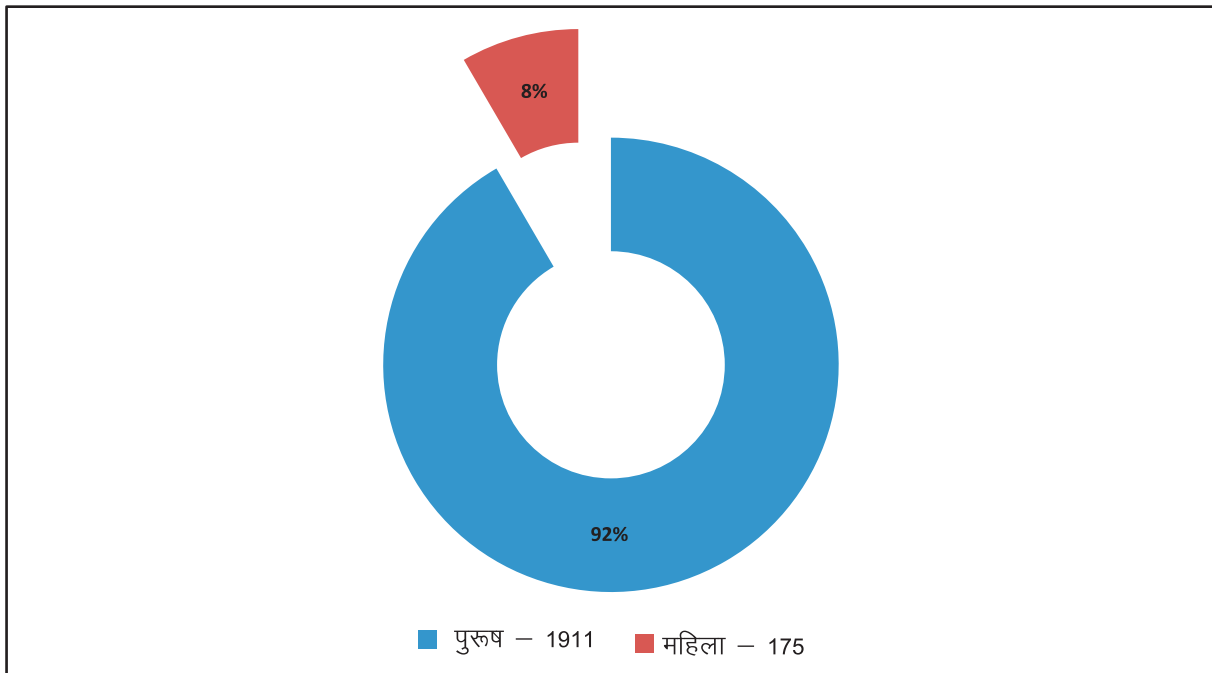
जनपदवार पंजीकृत द्वितीय अपीलों (प्रतिशत में) 2020-21



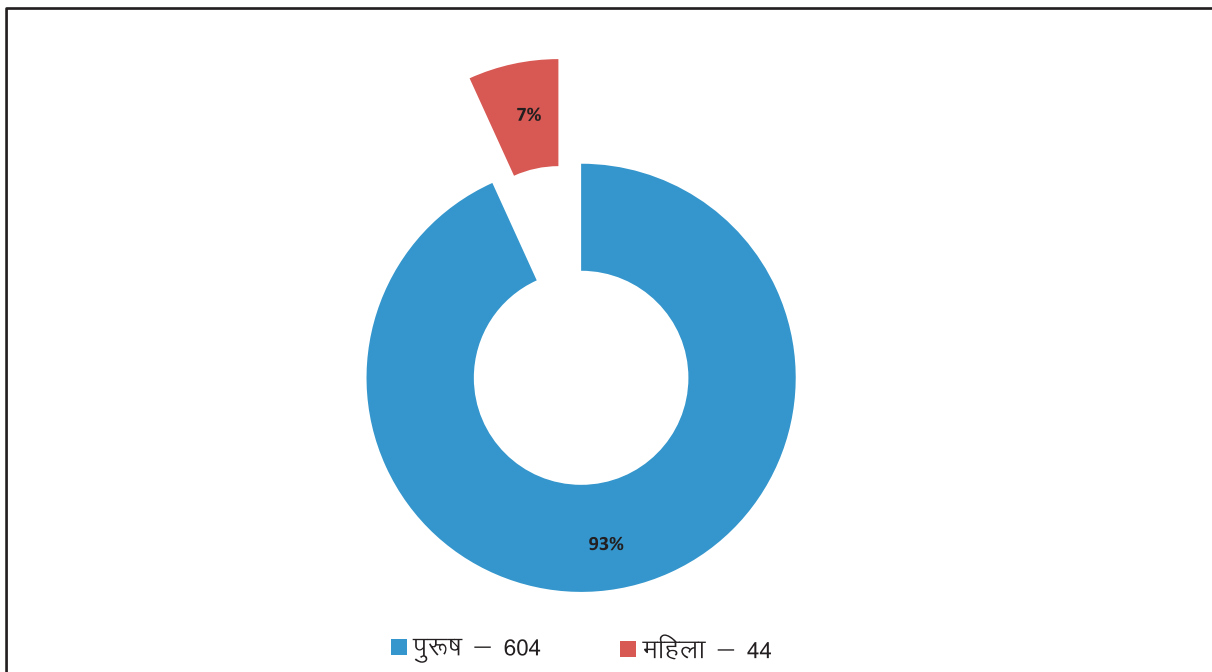
जनपदवार प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या (प्रतिशत में) 2021-22



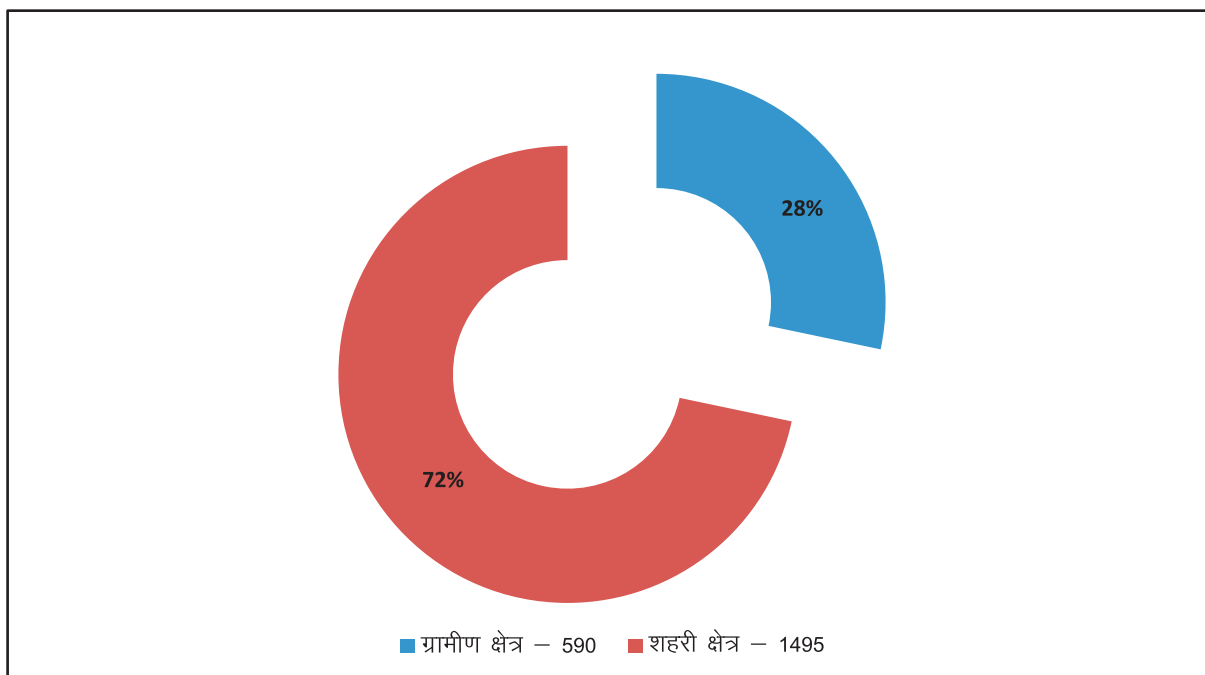
पंजीकृत द्वितीय अपीलों में महिला-पुरुष का अनुपात (वर्ष 2020-21)



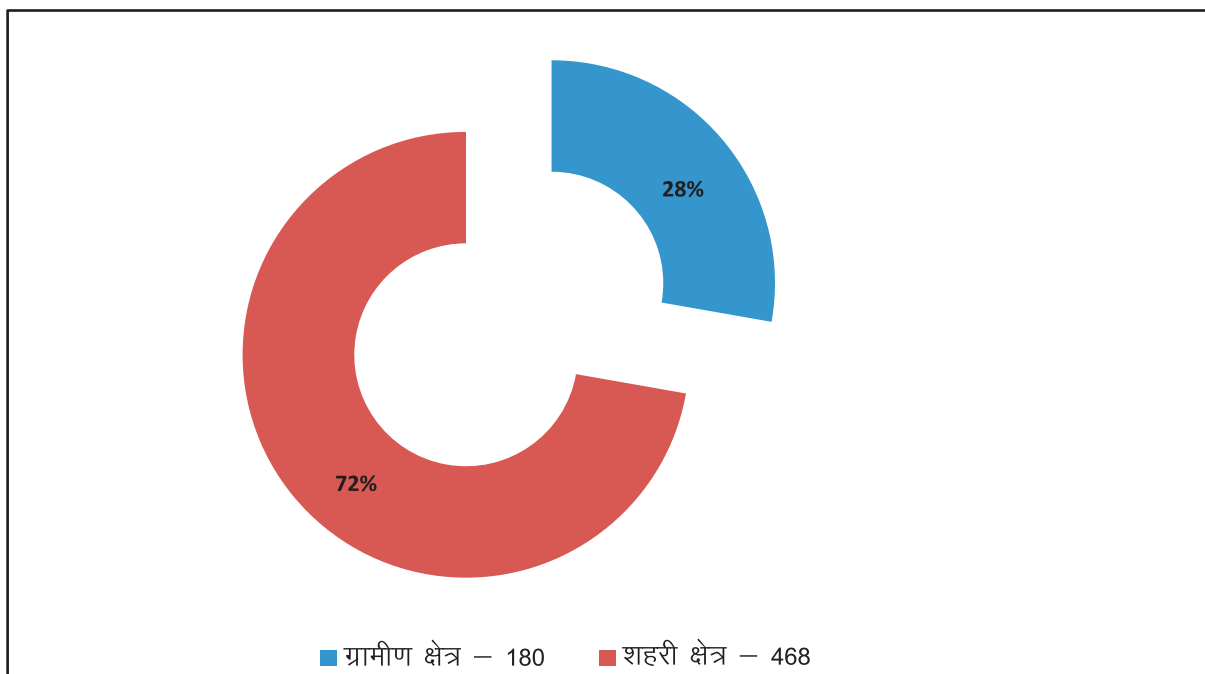
पंजीकृत द्वितीय अपीलों में महिला-पुरुष का अनुपात (वर्ष 2021-22)



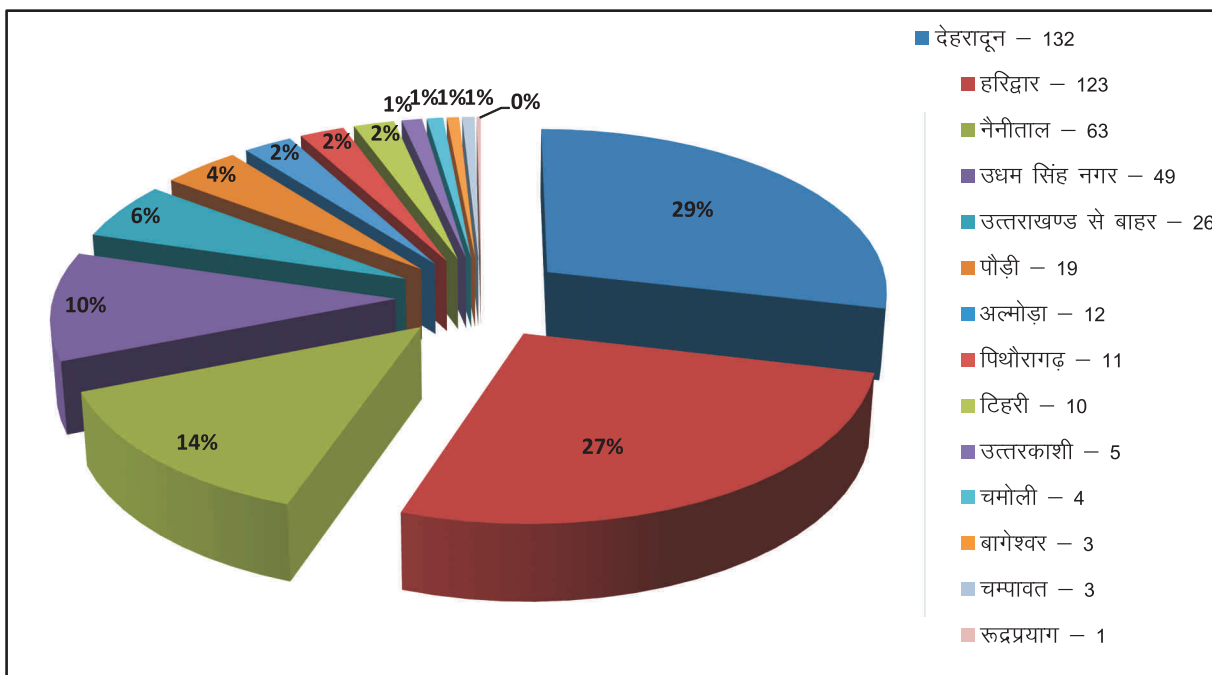
पंजीकृत द्वितीय अपीलों का ग्रामीण-शहरी क्षेत्र अनुपात (वर्ष 2020-21)



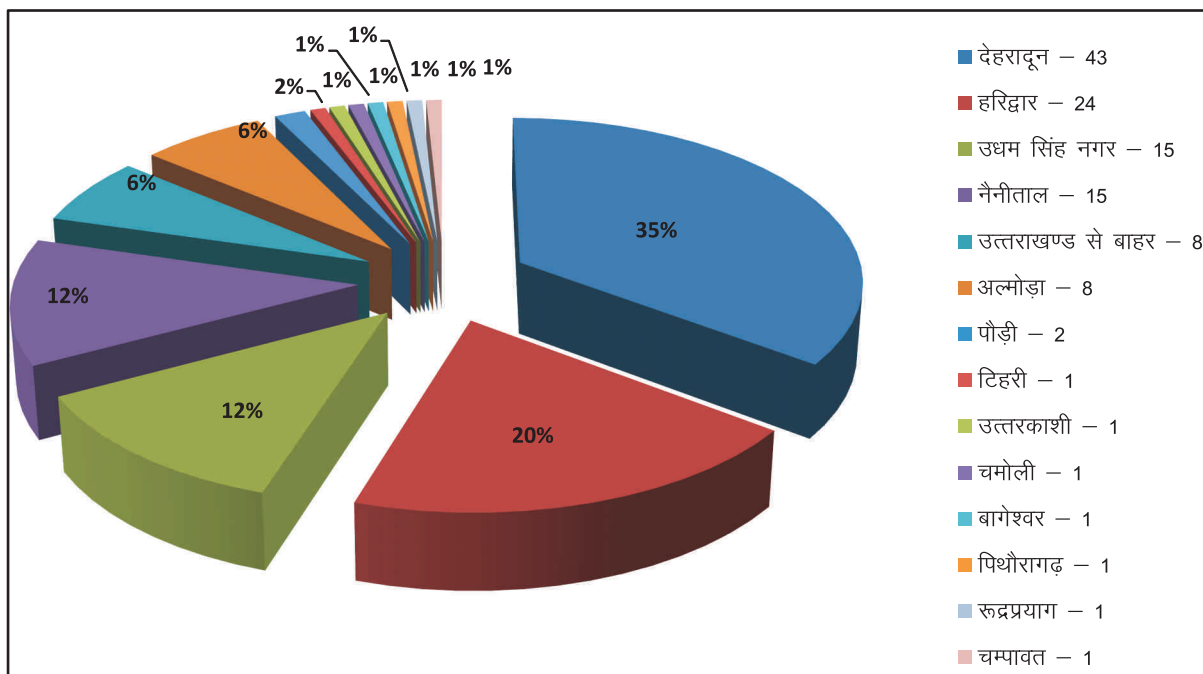
पंजीकृत द्वितीय अपीलों का ग्रामीण-शहरी क्षेत्र अनुपात (वर्ष 2021-22)



जनपदवार पंजीकृत शिकायतों का प्रतिशत (वर्ष 2020-21)

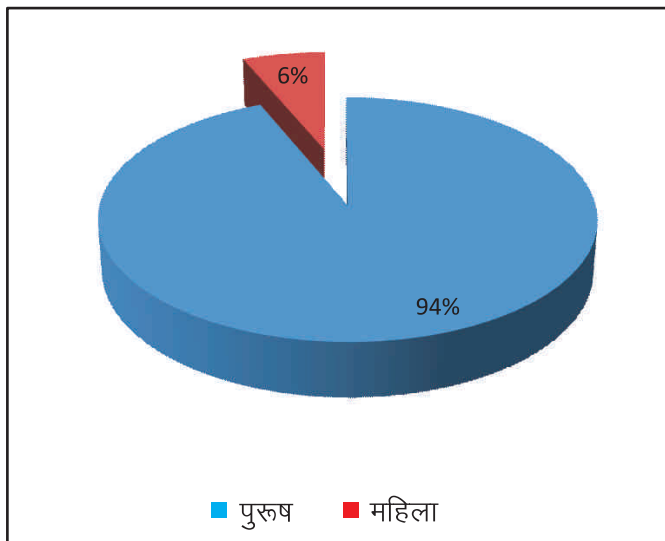


जनपदवार पंजीकृत शिकायतों का प्रतिशत (वर्ष 2021-22)

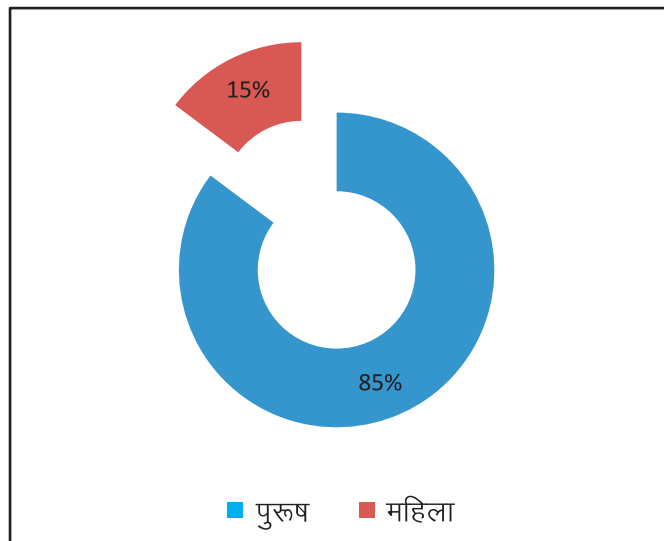


प्राप्त शिकायतों में महिला – पुरुष अनुपात

(वर्ष 2020-21)

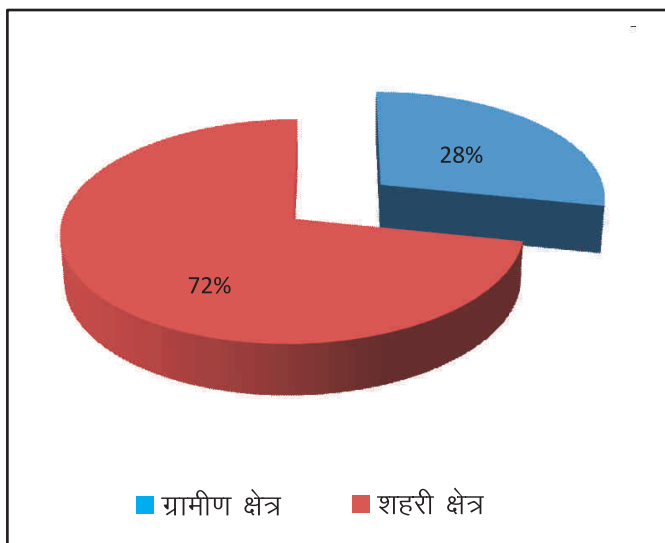


(वर्ष 2021-22)

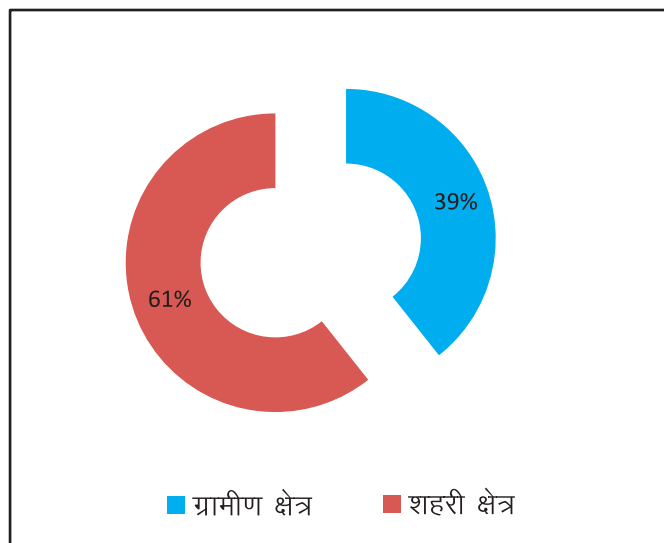


प्राप्त शिकायतों का ग्रामीण – शहरी क्षेत्र अनुपात

(वर्ष 2020-21)



(वर्ष 2021-22)





**लोक प्राधिकारियों के
स्तर पर धारा 4(1)(ख)
के अंतर्गत स्वः
प्रकटन की स्थिति**



सूचना का
अधिकार

लोक प्राधिकारियों के स्तर पर धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत स्वः प्रकटन की स्थिति

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत समस्त लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना को स्वैच्छिक रूप से प्रकट (Pro-Active Disclosures) करने का प्राविधान है। अधिनियम की धारा 1(3) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत कुछ अभिलेखों को अधिनियम के गजट नोटिफिकेशन के 120 दिन के अन्दर अर्थात् 12/10/2005 तक पूर्ण कर लेना अपेक्षित था, जिससे लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित सूचना इस अधिनियम के अंतर्गत विभागीय मैनुअल के रूप में जन-सामान्य को आसानी से सुलभ हो सके।

समस्त लोक प्राधिकारियों के द्वारा जिन बिंदुओं पर मैनुअल तैयार किये जाने हैं, जैसा अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में दिया गया है, वे निम्नलिखित हैं :

- (i) संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य।
- (ii) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य।
- (iii) लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचना।
- (iv) नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके प्रतिनिधित्व के लिये विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना।
- (v) दस्तावेजों, जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, श्रेणियों (Categories) के अनुसार विवरण।
- (vi) बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण। साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।

- (vii) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ।
- (viii) निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित)।
- (ix) अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।
- (x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति।
- (xi) प्रत्येक अभिकरण (Agency) को आबंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन विवरण की सूचना सहित)।
- (xii) अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों (Subsidy Programmes) के क्रियान्वयन की रीति, जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।
- (xiii) रियायतों, अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण।
- (xiv) कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम।
- (xv) किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे।
- (xvi) सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण। किसी पुस्तकालय या वाचनालय की यदि लोक उपयोग के लिये व्यवस्था की गई हो, तो उसका भी विवरण।
- (xvii) ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये।

अधिनियम की धारा 4(1)(ख) की xvii के अनुसार उपरोक्तानुसार तैयार किये गये मैनुअलों का प्रतिवर्ष

अद्यावधिकरण कराया जाना अनिवार्य है। परंतु लोक प्राधिकारियों द्वारा उक्त मैनुअलों का वार्षिक या तो अद्यावधिकरण नहीं किया जा रहा है अथवा वार्षिक रूप से नियत एक समयावधि के अंतर्गत नहीं किया जा रहा है। शासन स्तर से समस्त लोक प्राधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है। वार्षिक अद्यावधिकरण के पश्चात समस्त ऐसे मैनुअलों को विभाग/जनपद/शासन की वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त मैनुअलों को तैयार करने के सम्बन्ध में आयोग द्वारा समय-समय पर लोक प्राधिकारियों को निर्गत निर्देशों के फलस्वरूप वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश लोक प्राधिकारियों/विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को तैयार कर लिया गया है। प्रदेश के जिन लोक प्राधिकारियों/विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा अपने तैयार मैनुअल्स को डिजिटल कर लिया गया है, उनकी सूची इस अध्याय में दी जा रही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अनुपालन की स्थिति (वर्ष 2020-21 एवं 2021-22)

राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों / विभागाध्यक्षों की सूची जिनके द्वारा अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के मैन्युअलों को डिजिटাইज़ कर लिया गया है

क. सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग
1	कृषि विभाग
1.1	कृषि निदेशालय
1.2	उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद
1.3	उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद
1.3.1	मण्डी समिति, किच्छा
1.3.2	मण्डी समिति, ऋषिकेश
1.3.3	मण्डी समिति, लक्सर
1.3.4	मण्डी समिति, कोटद्वार
1.3.5	मण्डी समिति, विकासनगर
1.3.6	निमार्ण खण्ड, मण्डी परिषद
2	पशुपालन विभाग
2.1	पशुपालन निदेशालय
2.1.1	अपर निदेशक, गोपेश्वर
2.1.2	अपर निदेशक, पौड़ी
2.1.3	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, टिहरी
2.1.4	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पौड़ी
2.1.5	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा
2.1.6	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल
2.1.7	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़
2.1.8	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग
2.1.9	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उधम सिंह नगर
2.1.10	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर
2.1.11	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चमोली
2.1.12	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, देहरादून
2.1.13	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चम्पावत
2.1.14	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी
2.1.15	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, हरिद्वार
2.1.16	प्रबंधक, कालसी फार्म
2.1.17	भेड़ एवं ऊन बोर्ड
2.2	मतस्य निदेशालय
2.3	उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड

3	मुख्य मंत्री कार्यालय	
4	नागरिक उड्डयन	
4.1	नागरिक उड्डयन निदेशालय	
5	गोपन	
6	सहकारिता	
6.1	सहकारिता निदेशालय	
7	संस्कृति	
7.1	संस्कृति निदेशालय	
8	डेयरी विकास	
8.1	दुग्ध आयुक्त	
9	आपदा प्रबंधन	
9.1	आपदा प्रबंधन निदेशालय	
10	पेयजल	
10.1	स्वजल परियोजना	
10.2	उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान	
10.3	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	
10.4.1	अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नई टिहरी	
11	उच्च शिक्षा	
11.1	कुमांऊ विश्वविद्यालय	
11.2	दून विश्वविद्यालय	
11.3	उच्च शिक्षा निदेशालय	
11.3.1	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर	
11.3.2	ऋषिकुल राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार	
11.3.3	डिग्री कालेज, गरुड, जनपद बागेश्वर	
11.4	पंतनगर कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय	
11.5	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	
12	विद्यालयी शिक्षा	
12.1	विद्यालयी शिक्षा निदेशालय	
12.1.1	अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल, पौड़ी	
12.1.2	जिला शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़	
12.1.3	खण्ड शिक्षा अधिकारी, मूनाकोट, जनपद पिथौरागढ़	
12.1.4	खण्ड शिक्षा अधिकारी, धारचूला, जनपद पिथौरागढ़	
12.1.5	खण्ड शिक्षा अधिकारी, दशोली, जनपद चमोली	
12.1.6	डायट, गौचर, जनपद चमोली	
12.1.7	डायट, रुड़की, जनपद हरिद्वार	
12.1.8	डायट, अल्मोड़ा	
12.2	सर्व शिक्षा अभियान	
12.3	प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय	

13	प्राविधिक शिक्षा		
	13.1	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय	
		13.1.1	आई.टी.आई., युवक, हल्द्वानी
		13.1.2	आई.टी.आई., पिथौरागढ़
		13.1.3	आई.टी.आई., युवक, पिथौरागढ़
		13.1.4	आई.टी.आई., नई टिहरी
		13.1.5	आई.टी.आई., श्रीनगर
	13.2	उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद	
14	निर्वाचन		
	14.1	राज्य निर्वाचन आयोग	
15	ऊर्जा		
	15.1	उरेडा	
	15.2	उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	
	15.3	पिटकुल	
	15.4	उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.	
		15.4.1	अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, नई टिहरी
	15.5	मुख्यालय, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि.	
16	राज्य सम्पत्ति		
	16.1	राज्य सम्पत्ति विभाग	
17	सैनिक कल्याण		
	17.1	सैनिक कल्याण निदेशालय	
		17.1.1	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, टिहरी
18	आबकारी विभाग		
	18.1	आबकारी आयुक्त	
		18.1.1	जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी
19	वित्त विभाग		
	19.1	आयुक्त वाणिज्य कर	
	19.2	निबंधक, फर्म सोसाईटी एवं चिट्स	
		19.2.1	पिथौरागढ़
		19.2.2	चम्पावत
		19.2.3	टिहरी
	19.3	लेखा एवं हकदारी, निदेशालय	
	19.4	मनोरंजन कर विभाग	
		19.4.1	टिहरी
	19.5	सहकारी समितियां एवं पंचायतें	
	19.6	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग	
	19.7	स्टाम्प एवं निबंधन विभाग	

		19.8.1	मुख्य कोषाधिकारी, टिहरी	
20	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति			
	20.1	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति		
	20.2	राज्य उपभोक्ता वाद विवाद प्रतितोष आयोग		
21	वन			
	21.1	प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड		
		21.1.1	प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें	
		21.1.2	मुख्य वन संरक्षक, ईको टूरिज्म	
		21.1.3	मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं ऑडिट	
		21.1.4	मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ	
		21.1.5	मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ, हल्द्वानी	
		21.1.6	वन संरक्षक उत्तरी कुमांऊ, अल्मोड़ा	
		21.1.7	वन संरक्षक दक्षिणी कुमांऊ, अल्मोड़ा	
		21.1.8	वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, देहरादून	
		21.1.9	वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, मुनि की रेती	
		21.1.10	वन संरक्षक, नन्दा देवी बायोस्फेयर रिजर्व, गोपेश्वर	
		21.1.11	प्रभागीय वन अधिकारी, टिहरी	
		21.1.12	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़	
		21.1.13	प्रभागीय वन अधिकारी, बागेश्वर	
		21.1.14	प्रभागीय वन अधिकारी, चम्पावत	
		21.1.15	प्रभागीय वन अधिकारी, अल्मोड़ा	
		21.1.16	प्रभागीय वन अधिकारी, टौंस	
		21.1.17	प्रभागीय वन अधिकारी, तराई केन्द्रीय, हल्द्वानी	
		21.1.18	प्रभागीय वन अधिकारी, नैनीताल	
		21.1.19	प्रभागीय वन अधिकारी, भूमि संरक्षण, उत्तरकाशी	
		21.1.20	प्रभागीय वन अधिकारी, हल्द्वानी	
		21.1.21	उप वन संरक्षक, नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ	
	21.2	राजाजी राष्ट्रीय पार्क		
	21.3	कॉर्बेट टाईगर रिजर्व		
	21.4	वन विकास निगम		
22	सामान्य प्रशासन विभाग			
23	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण			
	23.1			
		23.1.1	मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी	
		23.1.2	मुख्य चिकित्साधिकारी, बागेश्वर	
		23.1.3	मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल	
			23.1.3.1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ओखलकाण्डा
			23.1.3.2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीमताल

			23.1.3.3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैलपड़ाव
			23.1.3.4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धारी
			23.1.3.5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटाबाग
			23.1.3.6	बी.डी. पाण्डे महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी
		23.1.4	मुख्य चिकित्साधिकारी, चमोली	
		23.1.5	मुख्य चिकित्साधिकारी, चम्पावत	
		23.1.6	मुख्य चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़	
		23.1.7	मुख्य चिकित्साधिकारी, उधम सिंह नगर	
		23.1.8		
			23.1.8.1	वि.मो.जो. जिला महिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा
	23.2	ई.एम.आर.आई. सेवा		
24	गृह			
	24.1	महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस		
		24.1.1	जनपद बागेश्वर	
		24.1.2	जनपद टिहरी	
		24.1.3	जनपद रुद्रप्रयाग	
		24.1.4	जनपद देहरादून	
		24.1.5	जनपद हरिद्वार	
		24.1.6	जनपद चम्पावत	
		24.1.7	जनपद अल्मोड़ा	
		24.1.8	जनपद पिथौरागढ़	
		24.1.9	जनपद पौड़ी	
		24.1.10	जनपद रुद्रप्रयाग	
		24.1.11	जनपद उधम सिंह नगर	
	24.2	राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण		
	24.3	होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा निदेशालय		
	24.4	अभियोजन निदेशालय		
25	उद्यान एवं रेशम			
	25.1	उद्यान निदेशालय		
		25.1.1	जिला उद्यान अधिकारी, टिहरी	
		25.1.2	जिला उद्यान अधिकारी, चमोली	
		25.1.3	जिला उद्यान अधिकारी, देहरादून	
		25.1.4	जिला उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी	
		25.1.5	जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार	
	25.2	रेशम निदेशालय		
	25.3	भेषज विकास इकाई		
	25.4			

26	आवास		
	26.1	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	
	26.2	हरिद्वार विकास प्राधिकरण	
	26.3	वरिष्ठ नियोजक, शहरी एवं ग्राम विकास	
	26.4	दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	
27	उद्योग		
	27.1	उद्योग निदेशालय	
		27.1.1	भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
		27.1.2	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तराखण्ड
28	सूचना प्रौद्योगिकी		
	28.1	आई.टी.डी.ए.	
	28.1	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	
29	सूचना एवं लोक संपर्क		
	29.1	सूचना एवं लोक संपर्क निदेशालय	
30	सिंचाई		
	30.1	मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष)	
		30.1.1	अधिशाली अभियंता, जनपद अल्मोड़ा
	30.2	पुनर्वास निदेशालय, टिहरी डैम परियोजना	
31	न्याय		
	31.1	न्याय विभाग	
	31.2	उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी	
	31.3	महाधिवक्ता कार्यालय, उत्तराखण्ड	
32	श्रम एवं सेवायोजन		
	32.1	श्रम आयुक्त	
	32.2	निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन	
		32.2.1	जिला सेवायोजन कार्यालय, टिहरी
33	चिकित्सा शिक्षा		
	33.1	होमयोपैथी निदेशालय	
		33.1.1	जिला होमयोपैथी चिकित्साधिकारी, टिहरी
		33.1.2	जिला होमयोपैथी चिकित्साधिकारी, नैनीताल
	33.2		
		33.2.1	जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, बागेश्वर
		33.2.2	जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, नैनीताल
		33.2.3	जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, चम्पावत
		33.2.4	ऋषिकूल आयुर्वेदिक फार्मसी, हरिद्वार

34	लघु सिंचाई
34.1	लघु सिंचाई विभागाध्यक्ष कार्यालय
34.1.1	अधीक्षण अभियंता, बागेश्वर
35	पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण
35.1	पंचायती राज निदेशालय
35.2	मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
35.2.1	अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, नई टिहरी
35.2.1	अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, बागेश्वर
36	विधायी
36.1	विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा विभाग
37	कार्मिक
37.1	कार्मिक विभाग
37.2	लोक सेवा अधिकरण
37.3	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
38	नियोजन
38.1	बीस सूत्रीय कार्यक्रम
38.2	भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण
38.3	आर्थिक नियोजन निदेशालय
39	प्रोटोकॉल
39.1	प्रोटोकॉल
40	लोक निर्माण विभाग
40.1	लोक निर्माण विभाग सचिवालय स्तर
40.2	मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष)
40.2.1	सिंचाई खण्ड, जनपद बागेश्वर
40.2.2	प्रांतीय खण्ड, जनपद बागेश्वर
40.2.3	अस्थायी खण्ड, घनसाली, जनपद टिहरी
40.2.4	निर्माण खण्ड, नई टिहरी
40.2.5	अस्थायी खण्ड, श्रीनगर, जनपद पौड़ी
40.2.6	निर्माण खण्ड, देहरादून
41	धर्मस्व
41.1	श्री बद्री केदार मंदिर समिति
42	राजस्व
42.1	राजस्व पुलिस
42.2	मुख्य राजस्व आयुक्त **
42.2.1	आयुक्त, कुमांऊ मण्डल
42.2.2	आयुक्त, गढ़वाल मण्डल
42.2.3	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग

		42.2.4	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
		42.2.5	जिलाधिकारी, पौड़ी
		42.2.6	जिलाधिकारी, टिहरी
		42.2.7	जिलाधिकारी, अल्मोड़ा
		42.2.8	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी
		42.2.9	जिलाधिकारी, देहरादून
		42.2.10	जिलाधिकारी, चमोली
		42.2.11	जिलाधिकारी, हरिद्वार
		42.2.12	जिलाधिकारी, बागेश्वर
		42.2.13	जिलाधिकारी, चम्पावत
		42.2.14	जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर
		42.2.15	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, हरिद्वार
43	ग्राम्य विकास		
	43.1	आयुक्त, ग्राम्य विकास **	
		43.1.1	मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा
		43.1.2	मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़
		43.1.2.1	खण्ड विकास अधिकारी, लोहाघाट
		43.1.2.2	खण्ड विकास अधिकारी, मूनाकोट
		43.1.3	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर
		43.1.3.1	खण्ड विकास अधिकारी, कपकोट
		43.1.4	मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत
		43.1.4.1	खण्ड विकास अधिकारी, चम्पावत
		43.1.4.2	खण्ड विकास अधिकारी, बाराकोट
		43.1.5	खण्ड विकास अधिकारी, गैरसैण
	43.2	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान	
	43.3	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, टिहरी	
44	सचिवालय प्रशासन		
	44.1	सचिवालय प्रशासन विभाग	
45	समाज कल्याण		
	45.1	समाज कल्याण निदेशालय	
	45.1.1	जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर	
	45.2	अन्य पिछड़ी जाति आयोग	
	45.3	अनुसूचित जाति जनजाति आयोग	
	45.4	उत्तराखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड	
46	खेल		
	46.1	खेल निदेशालय	
		46.1.1	जिला क्रीड़ा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर

47	पुनर्गठन	
48	गन्ना एवं चीनी	
	48.1	आयुक्त, गन्ना एवं चीनी
49	पर्यटन	
	49.1	गढ़वाल मण्डल विकास निगम
	49.2	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम
	49.3	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद
	49.4	राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान
50	परिवहन	
	50.1	उत्तराखण्ड परिवहन निगम
51	शहरी विकास	
	51.1	शहरी विकास निदेशालय
	50.1.1	नगर पालिका परिषद, टिहरी
	50.1.2	नगर पालिका परिषद, नैनीताल
	50.1.3	नगर पालिका परिषद, खटीमा
	50.1.4	नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी
	50.1.5	नगर पालिका परिषद, किच्छा
	50.1.6	नगर पालिका परिषद, विकासनगर
	50.1.7	नगर पालिका परिषद, गदरपुर
	50.1.8	नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़
	50.1.9	नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा
	50.1.10	नगर पालिका परिषद, मंगलौर
	50.1.11	नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग
52	सतर्कता	
	52.1	सतर्कता ब्यूरो
53	जलागम	
	53.1	जलागम प्रबंध निदेशालय
54	महिला एवं बाल विकास	
	54.1	राज्य महिला आयोग
55	युवा कल्याण	
	55.1	युवा कल्याण निदेशालय
	55.1.1	जिला युवा कल्याण अधिकारी, टिहरी
56	राजभवन	
	56.1	राजभवन
57	विधान सभा	
	57.1	विधान सभा

58	उच्च न्यायालय	
	58.1	उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड
	58.2	महाधिवक्ता कार्यालय
59	सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा	
	59.1	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

** अभिलेखों को पुनः टंकित न करा, उन्हें मात्र स्कैन कर मैनुअल तैयार किये गये हैं.



सूचना का
अधिकार



आयोग की संस्तुतियां



सूचना का
अधिकार

आयोग की संस्तुति

इस वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा निम्नलिखित संस्तुति राज्य सरकार के विचारार्थ प्रेषित की जा रही है :

मिनिस्टीरियल / अराजपत्रित कर्मचारी सम्बन्धित अपील / शिकायत के सम्बन्ध में माननीय आयोग की प्रेक्षाओं का संतोषजनक / समुचित निवारण नहीं कर पाते हैं।

संस्तुति : 1

कतिपय विभागों के लोक प्राधिकारियों द्वारा मिनिस्टीरियल / अराजपत्रित कर्मचारियों को लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। आयोग के समक्ष किसी द्वितीय अपील / शिकायत की सुनवाई के समय ऐसे नामित

उपरोक्त बिन्दु पर आयोग की संस्तुति है कि ऐसे कार्यालयों में जहाँ राजपत्रित अधिकारी कार्यरत हैं, वहाँ उन राजपत्रित अधिकारियों को ही लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से समुचित आदेश निर्गत किये जाने चाहिए।



सूचना का
अधिकार



सूचना का
अधिकार